सं0 1847 पी0ए0/नि0/2018
दि0 23/02/18

संख्या– 02/2018/243/उन्नीस–2–2018–22/2013टी0सी0

प्रेषक,

अवनीश कुमार अवस्थी,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवामें,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उ0प्र0,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

सूचना अनुभाग–2 लखनऊःदिनांकः 21 फरवरी, 2018

विषयः–प्रदेश की फिल्म नीति में संशोधन।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–32/सू0एवंज0सं0वि0(फिल्म बन्धु)–1/2000 टी0सी0, दिनांक 13–02–2018 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा फिल्म नीति–2001 (यथा संशोधित–2014 व 2015) के विभिन्न प्रस्तरों यथा–5.3.1.1, 7, 8, 16, 17, 21.3.1, 22.1, 22.3, 22.4, 23.3.1, 23.3.4, 23.3.5, 23.3.11, 23.3.12, 23.3.13, 23.3.14 एवं 25 में संशोधन, प्रस्तर– 9, 10, 11, 12, 13, 14, 21.1, 21.2, 22.2, 23.3.10, 23.4, 23.5, 24.3 एवं 24.6 को निक्षेपित तथा नवीन प्रस्तर– 23.3.20, 23.3.21, 23.3.22 व 26 की वृद्धि तथा आवेदन पत्र के प्रारूप में संशोधन किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की वर्तमान फिल्म नीति–2001 (यथासंशोधित– 2014 व 2015) के उपरोक्त प्रस्तरों में परिवर्तन करते हुए उ0प्र0 फिल्म नीति, यथा संशोधित–2018 के प्रख्यापन का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार स्तम्भ "क" में अंकित वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर स्तम्भ "ख" में अंकित संशोधित व्यवस्था को प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

AD
02/18
अनुज कुमार झा
सूचना निदेशक
DD फिल्म बन्धु
23/2/18
(ज्ञानेश्वर त्रिपाठी)
अपर निदेशक
संयुक्त सचिव (फि0बं0)
26/02/2018

क– वर्तमान व्यवस्था	ख– संशोधित व्यवस्था
1. आमुख 1.1 बीसवीं शताब्दी में सिनेमा भारतवर्ष में सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन के एक	**1. आमुख** 1.1 बीसवीं शताब्दी में सिनेमा भारतवर्ष में सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन के एक

सशक्त माध्यम के रूप में उभरकर सामने आया। मनोरंजन–उद्योग होने के नाते इसने देश के लोगों के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित किया है तथा जन संस्कृति के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। आज सिनेमा एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि का रूप धारण कर चुका है। विगत वर्षों के दौरान फिल्मों के मााध्यम से बड़ी संख्या में दर्शकों को मनोहारी दृश्यों तथा संस्कृति से अवगत कराकर, इस सशक्त माध्यम ने पर्यटन को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। निःसंदेह भारतीय फिल्में न केवल देश में, बल्कि विदेशों में भी समकालीन भारत की छवि बनाने में सहायक हुई हैं। दिनों–दिन सिनेमा के महत्व को सर्वत्र स्वीकार किया जाने लगा है। भारत सरकार ने फिल्मों को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रकार का निर्णय 1998 में ही लिया जा चुका था। वर्तमान सदी में फिल्म मनोरंजन ही नहीं बल्कि रोजगार, सामाजिक चेतना व संस्कृति के विकास के लिए और भी ज्यादा सशक्त माध्यम है।	सशक्त माध्यम के रूप में उभरकर सामने आया। मनोरंजन–उद्योग होने के नाते इसने देश के लोगों के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित किया है तथा जन संस्कृति के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। आज सिनेमा एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि का रूप धारण कर चुका है। विगत वर्षों के दौरान फिल्मों के माध्यम से बड़ी संख्या में दर्शकों को मनोहारी दृश्यों तथा संस्कृति से अवगत कराकर, इस सशक्त माध्यम ने पर्यटन को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। निःसंदेह भारतीय फिल्में न केवल देश में, बल्कि विदेशों में भी समकालीन भारत की छवि बनाने में सहायक हुई हैं। दिनों– दिन सिनेमा के महत्व को सर्वत्र स्वीकार किया जाने लगा है। भारत सरकार ने फिल्मों को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस प्रकार का निर्णय 1998 में ही लिया जा चुका था। वर्तमान सदी में फिल्म मनोरंजन ही नहीं बल्कि रोजगार, सामाजिक चेतना व संस्कृति के विकास के लिए और भी ज्यादा सशक्त माध्यम है।
1.2 भारतीय सिनेमा के इतिहास में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस प्रदेश ने फिल्म उद्योग को कई ख्यातिप्राप्त फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार, गीतकार, संगीतकार, तथा कथा/पटकथाकार दिये हैं। उत्तरांचल बन जाने के बाद भी प्रदेश के विशाल भू–भाग में फिल्म निर्माण की विपुल संस्कृति–धरोहर मौजूद हैं, जो प्रदेश के गौरवशाली इतिहास, इसकी वैभवपूर्ण	1.2 भारतीय सिनेमा के इतिहास में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस प्रदेश ने फिल्म उद्योग को कई ख्यातिप्राप्त फिल्म निर्माता, निर्देशक, कलाकार, गीतकार, संगीतकार, तथा कथा/पटकथाकार दिये हैं। उत्तरांचल बन जाने के बाद भी प्रदेश के विशाल भू–भाग में फिल्म निर्माण की विपुल संस्कृति–धरोहर मौजूद हैं, जो प्रदेश के गौरवशाली इतिहास, इसकी वैभवपूर्ण

वास्तुकला तथा स्थानीय संस्कृतियों की विविधता आदि सभी फिल्म निर्माण के लिए आवश्यक तत्व उपलब्ध कराते हैं। यद्यपि वर्ष 1999 में फिल्म नीति की घोषणा की गयी थी, तथापि इसमें अन्य आवश्यक सुसंगत प्राविधानों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कतिपय संशोधन किये गये हैं, ताकि उ0प्र0 में उपलब्ध असीम संभावनाओं को फिल्मांकित करने का समुचित उपयोग हो सके । 1.3 आवश्यकता इस बात की है कि ऐसा उपयुक्त वातावरण सृजित किया जाय, जिससे उत्तर प्रदेश में न केवल बड़े पैमाने पर शूटिंग का कार्य सम्पन्न हो सके, बल्कि फिल्म निर्माण के विभिन्न पक्षों से जुड़ी गतिविधियों का भी समग्र विकास हो सके। इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में फिल्म उद्योग के समग्र विकास हेतु एक सुसंगठित ढांचा एवं उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है।	वास्तुकला तथा स्थानीय संस्कृतियों की विविधता आदि सभी फिल्म निर्माण के लिए आवश्यक तत्व उपलब्ध कराते हैं। यद्यपि वर्ष 1999 में फिल्म नीति की घोषणा की गयी थी, तथापि इसमें अन्य आवश्यक सुसंगत प्राविधानों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए कतिपय संशोधन किये गये हैं, ताकि उ0प्र0 में उपलब्ध असीम संभावनाओं को फिल्मांकित करने का समुचित उपयोग हो सके। 1.3 आवश्यकता इस बात की है कि ऐसा उपयुक्त वातावरण सृजित किया जाय, जिससे उत्तर प्रदेश में न केवल बड़े पैमाने पर शूटिंग का कार्य सम्पन्न हो सके, बल्कि फिल्म निर्माण के विभिन्न पक्षों से जुड़ी गतिविधियों का भी समग्र विकास हो सके। इस नीति का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में फिल्म उद्योग के समग्र विकास हेतु एक सुसंगठित ढांचा एवं उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है।
2. उद्देश्य ● उत्तर प्रदेश को फिल्म निर्माण के लिए महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना। ● प्रदेश के अद्भुत, मनोहारी तथा रमणीय पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी देना एवं पर्यटकों को आकर्षित करना। ● प्रदेश की सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक विरासत एवं गौरवशाली परम्परा को देश एवं विदेश में प्रचारित व प्रसारित करना।	**2. उद्देश्य** ● उत्तर प्रदेश को फिल्म निर्माण के लिए महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में विकसित किया जाना। ● प्रदेश के अद्भुत, मनोहारी तथा रमणीय पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी देना एवं पर्यटकों को आकर्षित करना। ● प्रदेश की सांस्कृतिक, पौराणिक, ऐतिहासिक विरासत एवं गौरवशाली परम्परा को देश एवं विदेश में प्रचारित व प्रसारित करना।

• प्रदेश में अभिनय व फिल्म निर्माण की प्रतिभाओं को विकास के अवसर प्रदान करना। • प्रदेश में रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध कराना। • फिल्म उद्योग के माध्यम से अतिरिक्त पूँजी निवेश आकर्षित करना। • देश व प्रदेश की जनता को स्वस्थ व अपेक्षाकृत सस्ता मनोरंजन उपलब्ध कराना।	• प्रदेश में अभिनय व फिल्म निर्माण की प्रतिभाओं को विकास के अवसर प्रदान करना। • प्रदेश में रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध कराना। • फिल्म उद्योग के माध्यम से अतिरिक्त पूँजी निवेश आकर्षित करना। • देश व प्रदेश की जनता को स्वस्थ व अपेक्षाकृत सस्ता मनोरंजन उपलब्ध कराना।
3. रणनीति राज्य सरकार द्वारा उपरिलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हर सम्भव प्रयास जा रहा है तथा इस निमित्त 'उ0प्र0 फिल्म बन्धु' का गठन किया गया है। प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए उपयुक्त वातावरण सृजन के लिए निम्न प्रयास किये जायेंगे। • श्रेष्ठ एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थापना के सृजन में सहयोग देना, • विद्यमान अवस्थापना का जीर्णोद्धार, • नवीनीकरण एवं उच्चीकरण, • अपेक्षित सुविधाएँ उपलब्ध कराना, • प्रशासनिक सहायता, • वित्तीय प्रोत्साहनों का आकर्षक पैकेज, • सुयोग्य प्रकरणों में वित्तीय समर्थन की आकर्षक प्रणाली तथा • सिनेमा के प्रचार–प्रसार से जुड़े गैर–सरकारी संगठनों को बढ़ावा देना आदि।	**3. रणनीति** राज्य सरकार द्वारा उपरिलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु हर सम्भव प्रयास जा रहा है तथा इस निमित्त 'उ0प्र0 फिल्म बन्धु' का गठन किया गया है। प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए उपयुक्त वातावरण सृजन के लिए निम्न प्रयास किये जायेंगे। • श्रेष्ठ एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थापना के सृजन में सहयोग देना, • विद्यमान अवस्थापना का जीर्णोद्धार, • नवीनीकरण एवं उच्चीकरण, • अपेक्षित सुविधाएँ उपलब्ध कराना, • प्रशासनिक सहायता, • वित्तीय प्रोत्साहनों का आकर्षक पैकेज, • सुयोग्य प्रकरणों में वित्तीय समर्थन की आकर्षक प्रणाली तथा • सिनेमा के प्रचार–प्रसार से जुड़े गैर–सरकारी संगठनों को बढ़ावा देना आदि।

4. परिभाषा फिल्मों की परिभाषा वही होगी, जो भारतीय सिनेमटोग्राफी अधिनियम मे दी गयी है।	**4. परिभाषा** फिल्मों की परिभाषा वही होगी, जो भारतीय सिनेमेटोग्राफी अधिनियम मे दी गयी है।
5. अवस्थापना 5.1 फिल्मों के लिए एक विशिष्ट प्रकार की अवस्थापना की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार द्वारा निजी तथा संयुक्त क्षेत्र में इस प्रकार की अवस्थापना के सृजन को बढ़ावा दिया जायेगा। निजी क्षेत्र में इस प्रकार की अवस्थापना के उपलब्ध होने तक राज्य सरकार यथासम्भव विद्यमान कमियों को अपने प्रयासों से दूर करने का प्रयत्न करेगी। 5.2 फिल्मों के विकास के लिए आवश्यक अवस्थापना को सामान्य तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:– • शूटिंग तथा फिल्म निर्माण के लिए अवस्थापना जैसे स्टूडियो एवं प्रोसेसिंग प्रयोगशालाएं। • फिल्म प्रदर्शन के लिए अवस्थापना। • उपकरण • कलाकारों, तकनीशियनों तथा विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रशिक्षण सुविधाएं। **5.3 शूटिंग/फिल्म निर्माण हेतु अवस्थापना** 5.3.1 फिल्म सिटी **5.3.1.1** उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में नोएडा में फिल्म सिटी का विकास किया गया था, जो शनैः शनैः अब उत्तरी भारत में बन रहे टी0वी0 सीरियल्स फिल्म की शूटिंग का प्रमुख केन्द्र बन गया है। राज्य सरकार द्वारा इस मौजूदा फिल्म नगरी में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा, ताकि यह फिल्म नगरी उत्तरी भारत में फिल्म निर्माण के केन्द्र	**5. अवस्थापना** 5.1 फिल्मों के लिए एक विशिष्ट प्रकार की अवस्थापना की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार द्वारा निजी तथा संयुक्त क्षेत्र में इस प्रकार की अवस्थापना के सृजन को बढ़ावा दिया जायेगा। निजी क्षेत्र में इस प्रकार की अवस्थापना के उपलब्ध होने तक राज्य सरकार यथासम्भव विद्यमान कमियों को अपने प्रयासों से दूर करने का प्रयत्न करेगी। 5.2 फिल्मों के विकास के लिए आवश्यक अवस्थापना को सामान्य तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:– • शूटिंग तथा फिल्म निर्माण के लिए अवस्थापना जैसे स्टूडियो एवं प्रोसेसिंग प्रयोगशालाएं। • फिल्म प्रदर्शन के लिए अवस्थापना। • उपकरण • कलाकारों, तकनीशियनों तथा विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रशिक्षण सुविधाएं। **5.3 शूटिंग/फिल्म निर्माण हेतु अवस्थापना** 5.3.1 फिल्म सिटी **5.3.1.1** उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व में नोएडा में फिल्म सिटी का विकास किया गया था, जो शनैः शनैः अब उत्तरी भारत में बन रहे टी0वी0 सीरियल्स फिल्म की शूटिंग का प्रमुख केन्द्र बन गया है। ***राज्य सरकार नोएडा के साथ ही लखनऊ व वाराणसी के आस–पास तथा फिल्म शूटिंग के लिए उपयुक्त अन्य स्थानों पर फिल्म निर्माण सुविधाओं के विकास का प्रयास करेगी,***

बिन्दु के रूप में विकसित हो सके।	***ताकि प्रदेश*** फिल्म निर्माण के केन्द्र बिन्दु के रूप में विकसित हो सके।
5.3.1.2 प्रदेश में उपलब्ध संभावनाओं का पूर्ण दोहन सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ एजेन्सी के माध्यम से एक सम्भाव्यता अध्ययन कराया जाएगा। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र में नवीन फिल्म नगरी/नगरियों/फिल्म लैबोरेटरी की स्थापना के लिए सम्भावनाओं का मूल्यांकन करना होगा। यह अध्ययन 'फिल्म बन्धु' द्वारा कराया जाएगा तथा इसकी रिपोर्ट के आधार पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर उसे क्रियान्वयन हेतु निजी क्षेत्रों को प्रस्तुत किया जायेगा। प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए भी विस्तृत कार्य योजना बनायी जायेगी।	**5.3.1.2** प्रदेश में उपलब्ध संभावनाओं का पूर्ण दोहन सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ एजेन्सी के माध्यम से एक सम्भाव्यता अध्ययन कराया जाएगा। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र में नवीन फिल्म नगरी/नगरियों/फिल्म लैबोरेटरी की स्थापना के लिए सम्भावनाओं का मूल्यांकन करना होगा। यह अध्ययन 'फिल्म बन्धु' द्वारा कराया जाएगा तथा इसकी रिपोर्ट के आधार पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर उसे क्रियान्वयन हेतु निजी क्षेत्रों को प्रस्तुत किया जायेगा। प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए भी विस्तृत कार्य योजना बनायी जायेगी।
5.3.1.3 राज्य सरकार इस फिल्म नगरी/नगरियों के स्थापना में सहयोग करेगी और इसके लिए औद्यागिक दरों पर भूमि उपलब्ध करायेगी तथा सहायक अवस्थापना के सृजन में भी सक्रिय योगदान देगी। सुरक्षा की दृष्टि से फिल्म नगरी में पुलिस थाना स्थापित करने में भी सरकार अपना योगदान करेगी। पुलिस थाना, अग्नि शमन केन्द्र, सम्पर्क मार्ग तथा वाह्य जल निकासी आदि भौतिक अवस्थापनाओं का विकास राज्य सरकार के माध्यम से किया जायेगा।	**5.3.1.3** राज्य सरकार इस फिल्म नगरी/नगरियों के स्थापना में सहयोग करेगी और इसके लिए औद्यागिक दरों पर भूमि उपलब्ध करायेगी तथा सहायक अवस्थापना के सृजन में भी सक्रिय योगदान देगी। सुरक्षा की दृष्टि से फिल्म नगरी में पुलिस थाना स्थापित करने में भी सरकार अपना योगदान करेगी। पुलिस थाना, अग्नि शमन केन्द्र, सम्पर्क मार्ग तथा वाह्य जल निकासी आदि भौतिक अवस्थापनाओं का विकास राज्य सरकार के माध्यम से किया जायेगा।
5.3.2 स्टूडियोज/लैब्स जब तक प्रदेश में पूर्ण रूप से क्रियाशील फिल्म नगरी की स्थापना नहीं हो जाती तब तक स्टूडियोज तथा प्रयोगशालाओं की स्थापना को राज्य सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जायेगा। इनकी स्थापना हेतु राज्य सरकार की संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराने के	**5.3.2 स्टूडियोज/लैब्स** जब तक प्रदेश में पूर्ण रूप से क्रियाशील फिल्म नगरी की स्थापना नहीं हो जाती तब तक स्टूडियोज तथा प्रयोगशालाओं की स्थापना को राज्य सरकार द्वारा बढ़ावा दिया जायेगा। इनकी स्थापना हेतु राज्य सरकार की संस्थाओं के माध्यम से ऋण

अतिरिक्त क्षेत्रीय फिल्मों के लिए इस नीति के अन्तर्गत अनुमन्य अनुदान योजना से उन्हें सम्बद्ध किया जाएगा, ताकि प्रदेश में स्थापित स्टूडियोज /प्रयोगशालाएं लाभान्वित हो सकें।	उपलब्ध कराने के अतिरिक्त क्षेत्रीय फिल्मों के लिए इस नीति के अन्तर्गत अनुमन्य अनुदान योजना से उन्हें सम्बद्ध किया जाएगा, ताकि प्रदेश में स्थापित स्टूडियोज/प्रयोगशालाएं लाभान्वित हो सकें।
6. फिल्मों का प्रदर्शन टी0वी0 और केबिल नेटवर्क के सशक्त प्रवेश से फिल्म उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सिने–दर्शकों की संख्या में कमी आने के फलस्वरूप बड़ी संख्या में छविगृह बन्द हो गए हैं और कार्यरत छविगृहों के रख–रखाव तथा उनकी सेवाओं का ह्रास हुआ है। फिल्म उद्योग के समग्र विकास हेतु उच्च श्रेणी की सिनेमा प्रदर्शन सुविधाएं आवश्यक हैं, किन्तु सिने–दर्शक केवल उसी दशा में छविगृहों की ओर आकर्षित होंगे, जब छविगृहों में फिल्म देखने का अनुभव घर में फिल्म देखने की अपेक्षा बिल्कुल भिन्न हो। इसलिए राज्य सरकार द्वारा छविगृहों में भौतिक सुख–साधन तथा प्रौद्योगिकी के उच्चीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु वर्तमान छविगृहों के उच्चीकरण हेतु विशेष योजना बनायी जायेगी।	**6. फिल्मों का प्रदर्शन** टी0वी0 और केबिल नेटवर्क के सशक्त प्रवेश से फिल्म उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सिने–दर्शकों की संख्या में कमी आने के फलस्वरूप बड़ी संख्या में छविगृह बन्द हो गए हैं और कार्यरत छविगृहों के रख–रखाव तथा उनकी सेवाओं का ह्रास हुआ है। फिल्म उद्योग के समग्र विकास हेतु उच्च श्रेणी की सिनेमा प्रदर्शन सुविधाएं आवश्यक हैं, किन्तु सिने–दर्शक केवल उसी दशा में छविगृहों की ओर आकर्षित होंगे, जब छविगृहों में फिल्म देखने का अनुभव घर में फिल्म देखने की अपेक्षा बिल्कुल भिन्न हो। इसलिए राज्य सरकार द्वारा छविगृहों में भौतिक सुख–साधन तथा प्रौद्योगिकी के उच्चीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु वर्तमान छविगृहों के उच्चीकरण हेतु विशेष योजना बनायी जायेगी।
7. मनोरंजन–कर में कमी राज्य सरकार द्वारा फिल्म नीति के अन्तर्गत प्रदेश में फिल्म उद्योग को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने व जनता को सस्ती दरों पर मनोरंजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिनेमा/मल्टीप्लेक्स पर मनोरंजन कर की दर दिनांक 4.09.2009 से रू0 10 तक के कुल टिकट मूल्य पर 30 प्रतिशत, रू0 10 से अधिक तथा रू0 30 तक के कुल टिकट मूल्य का 35 प्रतिशत एवं रू0 30 से अधिक कुल टिकट मूल्य का 40 प्रतिशत कर दी गयी है। मनोरंजन कर की दरों में कमी से जनता को मनोरंजन सस्ती दरों पर उपलब्ध हो रहा है। भविष्य में भी इसके उदारीकरण पर विचार किया जा सकता है।	**7. माल एवं सेवा कर** **प्रदेश में, दिनांक 01.07.2017 से मॉल और सेवाकर अधिनियम–2017 के क्रियान्वयन हो जाने के उपरान्त सिनेमा /मल्टीप्लेक्स पर माल और सेवाकर की दर रूपये 100/– के टिकट मूल्य पर 18%(CGST 9%+ SGST 9%)एवं रुपये 100/– से अधिक टिकट मूल्य पर 28%(CGST 14%+SGST 14%) देय है।**

8. बहु–सामुच्य(मल्टीप्लेक्सेज)	**8. प्रदेश में बन्द सिनेमाघरों को पुनः संचालित कराने, संचालित सिनेमाघरों का पुनर्निर्माण/रिमॉडल करवाने मल्टीप्लेक्स विहीन 58 जनपदों में मल्टीप्लेक्स खुलवाने, एकल सिनेमा घरों के निर्माण को प्रोत्साहित करने एवं संचालित सिनेमाघरों के उच्चीकरण हेतु समेकित प्रोत्साहन योजनाः–**
बहु–सामुच्य(मल्टीप्लेक्सेज) फिल्म प्रदर्शन की नवीनतम विधि है, जो कि तकनीकी दृष्टि से अत्यधिक विकसित है। उत्तर प्रदेश में ऐसे मल्टीप्लेक्सेज की स्थापना, जिसमें दो या उससे अधिक सिनेमा गृह सम्मिलित हों, को प्रोत्साहित करने हेतु सर्वप्रथम वर्ष 1999 में प्रोत्साहन योजना जारी की गयी थी, जिसका समय–समय पर विस्तार किया जाता रहा है। शासनादेश संख्या–1972/11–6–10एम (72)/2010 दिनांक 03.1.2011 द्वारा प्रोत्साहन योजना जारी की गयी, है जिसके अन्तर्गत नगर निगम एवं नोएडा/ग्रेटर नोएडा में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स को प्रथम वर्ष 100 प्रतिशत, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष 75 प्रतिशत एवं चतुर्थ एवं पंचम वर्ष 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्राविधान किया गया है। नगर निगम एवं नोएडा/ग्रेटर नोएडा से भिन्न स्थानीय क्षेत्रों में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष 100 प्रतिशत और चतुर्थ एवं पंचम वर्ष 75 प्रतिशत अनुदान देने का प्राविधान किया गया है। यह योजना दिनांक 31.03.2015 तक प्रभावी थी। शासनादेश संख्या–1055/11–6–14–एम.(19)/2008 दिनांक 19.12.2014 के अन्तर्गत यह व्यवस्था भी की गयी है कि तत्संबंधी पूर्व शासनादेश संख्या–1211/ 11–क.नि.–6–2005–बीस.–आर.(12)/98 दिनांक 27.09.2005 की योजना के अन्तर्गत ऐसे मल्टीप्लेक्स छविगृह जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली 1951 में प्राविधानित नियमों के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट से पूर्व अनुमति प्राप्त कर सिनेमा का निर्माण करके निर्धारित अवधि 31.03.2011 के बाद लाईसेंस प्राप्त किया गया हो और उन्हें उक्त शासनादेश में अनुमन्य अनुदान का लाभ प्राप्त न हो पाया हो ऐसे मल्टीप्लेक्स छविगृहों को भविष्य में विभागीय राजस्व तथा रोजगार सृजन में वृद्धि होने के	*शासनादेशसंख्या–564/11–6–2017–एम (34)/17 दिनांक 28.07.2017 द्वारा प्रदेश में बन्द सिनेमाघरों को पुनः संचालित कराने, संचालित सिनेमाघरों को पुनर्निर्माण/रिमॉडल कराने, मल्टीप्लेक्स विहीन 58 जनपदों में यथाशीघ्र मल्टीप्लेक्स खुलवाने, एकल सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहित करने एवं संचालित सिनेमाघरों के उच्चीकरण हेतु समेकित प्रोत्साहन योजना निर्गत की गयी है, जो निम्नवत हैः–* *जन सामान्य को स्वस्थ्य मनोरंजन उपलब्ध कराने, राजस्व वृद्धि के साथ–साथ अधिकाधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य से प्रदेश में बन्द या संचालित सिनेमाघरों को यथास्थिति, पूर्णरुप से तोड़कर व्यवसायिक गतिविधियों सहित उन्हें पुनः संचालित कराने/बन्द अथवा संचालित सिनेमाघरों को रिमॉडल करवाने, मल्टीप्लेक्स विहीन 58 जनपदों में यथाशीघ्र मल्टीप्लेक्स खुलवाने, एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहित करने संचालित छविगृहों के उच्चीकरण तथा संचालित एक स्क्रीन सिनेमाघरों के स्वामियों की समस्याओं के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित समेकित प्रोत्साहन योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–* **(i)बन्द पड़े अथवा संचालित सिनेमाघरों को पूर्ण रुप से तोड़कर उसके स्थान पर व्यवसायिक काम्पलेक्स सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त लघु क्षमता के सिनेमाघरों**

दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 27.09.2005 के सभी प्रतिबन्धों का पालन करने पर शासनादेश दिनांक 03.01.2011 में मल्टीप्लेक्स छविगृहों को अनुदान दिये जाने की व्यवस्था में संशोधन करते हुए निम्न अनुदान दिये जाने की व्यवस्था की गयी है। नगर निगम क्षेत्रों एवं नोएडा/ग्रेटर नोएडा में निर्मित होने वाले मल्टीप्लेक्स हेतु प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष में मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन कर का 75 प्रतिशत अनुदान तथा तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष एवं पंचम वर्ष में मल्टीप्लेक्स के सभी छविगृहों से संग्रहीत मनोरंजन का 50 प्रतिशत अनुदान की व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार ऐसे मल्टीप्लेक्स छविगृहों में जिन्होंने शासनादेश दिनांक 27.09.2005 की योजना से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली-1951 के प्राविधानों के अन्तर्गत फिल्मों के सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु लाईसेंस दिनांक 31.03.2011 तक प्राप्त न कर सके हों और जो दिनांक 31.03.2016 तक प्रदर्शन हेतु लाइसेंस प्राप्त कर लेते हैं, को उपरोक्तानुसार अनुदान का लाभ इस शर्त के साथ अनुमन्य होगा कि सिनेमा स्वामी द्वारा शासनादेश दिनांक 27.09.2005 के सभी प्रतिबन्धों का पालन किया गया हो तथा नियमानुसार शासनादेश के अधीन निर्माण की पूर्वानुमति जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त कर ली गयी हो।

के निर्माण हेतु प्रोत्साहन योजनाः-

शासनादेश संख्या-1669/11-6-2004-बीस0एम0(36)/99 दिनांक 03.09.2004 के अधीन निर्मित सिनेमाघरों को प्रथम तीन वर्ष राज्य माल और सेवाकर का 100 प्रतिशत एवं शेष दो वर्ष 75 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा, इस योजना का लाभ वर्तमान में बन्द या संचालित ऐसे एकल स्क्रीन सिनेमाघरों को अनुमन्य होगा। जो विलम्बतम दिनांक 31.03.2020 तक जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस प्राप्त कर उक्त में फिल्म प्रदर्शन प्रारम्भ कर लेंगे।

इस योजना का लाभ उन सभी सिनेमाघरों को भी अनुमन्य होगा, जिन्होंने शासनादेश संख्या-1560/11-क0नि0-6-2005-बीस0एम0(106)/2005 दिनांक 27.09.2005 द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत, जिला मजिस्ट्रेट को निर्माण की अनुमति हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर दिया था, परन्तु जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से निर्माण की अनुमति मिलने में हुए विलम्ब या किन्ही अन्य अपरिहार्य कारणों से दिनांक 31.03.2010 तक लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सके थे, वशर्ते इस उपवर्ग में आने वाले सिनेमाघर विलम्बतम दिनांक 31.03.2018 तक जिला मजिस्ट्रेट से चलचित्रों के प्रदर्शन हेतु लाइसेंस प्राप्त कर सिनेमाघर में फिल्मों का प्रदर्शन प्रारम्भ कर लेंगे।

(ii)पुराने बन्द पड़े एवं संचालित सिनेमाघरों को भवन की आंतरिक संरचना के परिवर्तन (रिमॉडल) कर पुनः संचालित होने वाले सिनेमाघरों हेतु प्रोत्साहन योजनाः-

शासनादेश संख्या-843/11-6-2016-बीस0 एम0(19)/08 दिनांक 30.12.2016 में अन्तर्निहित अपवाद (ऐसे नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद, जहां एक भी मल्टीप्लेक्स हो को छोड़कर) को निरसित करते हुए योजना सम्पूर्ण प्रदेश हेतु प्रभावी होगी एवं इस योजना के तहत रिमॉडल होने

	वाले सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स को प्रथम तीन वर्ष राज्य माल और सेवाकर का 75 प्रतिशत तथा चतुर्थ एवं पंचम वर्ष 50 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा। इस योजना का लाभ ऐसे सिनेमाघरों को अनुमन्य होगा, जो विलम्बतम दिनांक 31.03.2020 तक जिला मजिस्ट्रेट प्राप्त कर उक्त में फिल्म प्रदर्शन प्रारम्भ कर लेंगे। शासनादेश संख्या-843 दिनांक 30.12.2016 की शेष शर्ते यथावत रहेगी। (iii) **प्रदेश में बन्द पड़े सिनेमाघरों को बिना आन्तरिक संरचना के परिवर्तन किये यथास्थिति पुनः संचालित करने वाले सिनेमाघरों हेतु प्रोत्साहन योजनाः-** इस योजना का लाभ प्रदेश में बन्द पड़े सिनेमाघरों को बिना आन्तरिक संरचना के परिवर्तन किये यथास्थिति पुनः संचालित करने हेतु जनपद/तहसील मुख्यालयों के अतिरिक्त कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बन्द हो चुके सिनेमाघरों हेतु पूर्व योजना को और आकर्षक बनाये जाने के उद्देश्य से दिनांक 31.03.2017 तक बन्द हो चुके सिनेमाघरों को प्रथम तीन वर्ष राज्य माल और सेवाकर का 50 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा। इस योजना का लाभ ऐसे सिनेमाघरों को अनुमन्य होगा जो विलम्बतम दिनांक 31.03.2018 तक जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस प्राप्त कर उक्त में फिल्म प्रदर्शन प्रारम्भ कर लेंगे। (iv) **व्यवसायिक गतिविधियों सहित/ रहित, न्यूनतम 125 आसन क्षमता के एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन योजनाः-** इस योजना का लाभ व्यवसायिक गतिविधियों सहित/रहित, न्यूनतम 125 आसन क्षमता के एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण हेतु वर्तमान में प्रभावी शासनादेश संख्या-950/11-6-2016 एम(9)/16 दिनांक 30.12.2016, को यथावत बनायें रखते हुए इस योजना का लाभ ऐसे सिनेमाघरों को अनुमन्य होगा जो विलम्बतम दिनांक 31.03.

	2020 तक जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस प्राप्त कर उक्त में फिल्म प्रदर्शन प्रारम्भ कर लेंगे। **(v) जिन जनपदों में एक भी मल्टीप्लेक्स निर्मित/संचालित नहीं है, वहां मल्टीप्लेक्स खुलवाने सिनेमाघरों हेतु प्रोत्साहन योजनाः–** *इस योजना का लाभ प्रदेश के ऐसे 58 जनपदों जिनमें एक भी मल्टीप्लेक्स निर्मित संचालित नहीं है, में भी नये मल्टीप्लेक्सेज के निर्माण हेतु वर्तमान में लागू शासनदेश–714/11–6–15–एम(72)/2010 दिनांक 03.09.2015 को इस सीमा तक संशोधित करते हुए उन जनपदों में प्रथम संचालित होने वाले मल्टीप्लेक्स को छः वर्ष तक राज्य माल और सेवाकर का 100 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य किया जायेगा। शासनादेश संख्या–714/11–15–एम (72)/2010 दिनांक 03.09.2015 एवं इस योजना का लाभ ऐसे सिनेमाघरों को अनुमन्य होगा जो विलम्बतम दिनांक 31.03.2020 तक जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस प्राप्त कर उक्त में फिल्म प्रदर्शन प्रारम्भ कर लेंगे।* **(vi) सिनेमाघरों के उच्चीकरण हेतु वर्तमान में लागू प्रोत्साहन योजनाः–** *इस योजना के अन्तर्गत निम्न वर्णित एक अथवा अनेक मदों में निवेश की गयी वास्तविक धनराशि का 50 प्रतिशत की सीमा तक का अनुदान राज्य माल और सेवाकर में से अनुमन्य होगाः–* • *एयर कंडीशनिंग/एयर कूलिंग* • *जेनरेटर सेट क्रय* • *ध्वनि प्रणाली के आधुनिकीकरण* • *सारे सीट बदलने* • *फाल्स–सीलिंग बदलने* • *डिजिटल प्रक्षेपण प्रणाली एवं* • *सौर ऊर्जा पर आधारित संयंत्र* *इस उच्चीकरण का लाभ एकल स्क्रीन*

	छविगृह के व्यवसायियों को ही अनुमन्य होगा, मल्टीप्लेक्स को उच्चीकरण योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।
9. बंद छविगृहों को पुनर्जीवित करना बन्द पड़े छविगृहों को पुनर्जीवित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सिने व्यवसाय को आर्थिक रूप से उपादेय बनाने के उद्देश्य से बन्द/घाटे में चल रहे सिनेमाघरों को पुर्नसंरचित करके 125 अथवा अधिक आसन क्षमता के छोटे सिनेमा सहित व्यावसायिक गतिविधियां प्रारम्भ करने सबंधी शासनादेश संख्या– 231/11–6–11–20 एम0(19)/2008 दिनांक 20.05.2011 जारी किया गया है।	**9. बंद छविगृहों को पुनर्जीवित करना** बन्द पड़े छविगृहों को पुनर्जीवित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सिने व्यवसाय को आर्थिक रूप से उपादेय बनाने के उद्देश्य से बन्द/घाटे में चल रहे सिनेमाघरों को पुर्नसंरचित करके 125 अथवा अधिक आसन क्षमता के छोटे सिनेमा सहित व्यावसायिक गतिविधियां प्रारम्भ करने सबंधी शासनादेश संख्या– 231/11–6–11–20एम0(19)/2008 दिनांक 20.05.2011 जारी किया गया है। प्रदेश में दिनांक 01.07.2017 से मॉल और सेवाकर अधिनियम, 2017 के कियान्वयन हो जाने के उपरान्त, उपरोक्त प्रस्तर–8 के अनुसार, *शासनादेश* संख्या– 564/ 11 –6 –2017–एम(34)/17 दिनांक 28.07.2017 द्वारा प्रदेश में बन्द सिनेमाघरों को पुनः संचालित कराने, संचालित सिनेमाघरों को पुनर्निर्माण/रिमॉडल कराने, मल्टीप्लेक्स विहीन 58 जनपदों में यथाशीघ्र मल्टीप्लेक्स खुलवाने, एकल सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहित करने एवं संचालित सिनेमाघरों के उच्चीकरण हेतु समेकित प्रोत्साहन योजना निर्गत की गयी है,
10. वर्तमान छविगृहों का उच्चीकरण सिनेमाहालों में फिल्मों को देखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान छविगृहों में उपलब्ध सुविधाओं तथा तकनीकों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण किया जाये। प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या–952 दिनांक 03.11.1999 के अंतर्गत छविगृह में जनसुविधा के विस्तार एवं उन्हें जनोन्मुखी बनाने के उददेश्य से छविगृहों में आधुनिक ध्वनि प्रणाली, एअर कंडीशनिंग, जेनरेटर सेट, फाल्स सिलिंग लगाने एवं समस्त फर्नीचर बदलने तथा वृहद् नवीनीकरण हेतु	**10. वर्तमान छविगृहों का उच्चीकरण** सिनेमाहालों में फिल्मों को देखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान छविगृहों में उपलब्ध सुविधाओं तथा तकनीकों का आधुनिकीकरण एवं उच्चीकरण किया जाये। प्रदेश सरकार द्वारा शासनादेश संख्या–952 दिनांक 03.11.1999 के अंतर्गत छविगृह में जनसुविधा के विस्तार एवं उन्हें जनोन्मुखी बनाने के उददेश्य से छविगृहों में आधुनिक ध्वनि प्रणाली, एअर कंडीशनिंग, जेनरेटर सेट, फाल्स सिलिंग लगाने एवं समस्त फर्नीचर बदलने तथा वृहद नवीनीकरण

मनोरंजन–कर उपादान की नवीन योजना लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत छविगृह–स्वामी को उपरोक्त सुविधाओं पर किए गए निवेश के 50: की अधिकतम् सीमा तक मनोरंजन–कर, जो इस सुविधा के बाद अतिरिक्त रूप से जमा किया जायेगा, अनुदान के रूप में अपने पास रखने की अनुमति पूर्व वर्ष में जमा किये गये मनोरंजन–कर राजस्व के बराबर, राजस्व शासकीय कोषागार में जमा करने के पश्चात् दी जायेगी। पुनः शासनादेश संख्या–621 (1) दिनांक 12.09.2014 द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 03.11.1999 में छविगृह में डिजिटल प्रोजक्शन सिस्टम एवं सौर उर्जा से संचालित संयत्र स्थापित करने पर इस योजना के अंतर्गत निवेश की गयी धनराशि पर 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की व्यवस्था कतिपय शर्तों के साथ की गयी है।	हेतु मनोरंजन–कर उपादान की नवीन योजना लागू की गयी है, जिसके अन्तर्गत छविगृह–स्वामी को उपरोक्त सुविधाओं पर किए गए निवेश के 50: की अधिकतम् सीमा तक मनोरंजन–कर, जो इस सुविधा के बाद अतिरिक्त रूप से जमा किया जायेगा, अनुदान के रूप में अपने पास रखने की अनुमति पूर्व वर्ष में जमा किये गये मनोरंजन–कर राजस्व के बराबर, राजस्व शासकीय कोषागार में जमा करने के पश्चात् दी जायेगी। पुनः शासनादेश संख्या–621 (1) दिनांक 12.09.2014 द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 03.11.1999 में छविगृह में डिजिटल प्रोजक्शन सिस्टम एवं सौर उर्जा से संचालित संयत्र स्थापित करने पर इस योजना के अंतर्गत निवेश की गयी धनराशि पर 50 प्रतिशत अनुदान दिये जाने की व्यवस्था कतिपय शर्तों के साथ की गयी है। प्रदेश में दिनांक 01.07.2017 से मॉल ओर सेवाकर अधिनियम, 2017 के कियान्वयन हो जाने के उपरान्त, उपरोक्त प्रस्तर–8 के अनुसार, *शासनादेश* संख्या– 564 / 11 –6 –2017–एम(34) / 17 दिनांक 28.07.2017 द्वारा प्रदेश में बन्द सिनेमाघरों को पुनः संचालित कराने, संचालित सिनेमाघरों को पुनर्निर्माण / रिमॉडल कराने, मल्टीप्लेक्स विहीन 58 जनपदों में यथाशीघ्र मल्टीप्लेक्स खुलवाने, एकल सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहित करने एवं संचालित सिनेमाघरों के उच्चीकरण हेतु समेकित प्रोत्साहन योजना निर्गत की गयी है,
11. छविगृह परिसर का अनुरक्षण सिनेमा परिसर के रख–रखाव हेतु शासन की अधिसूचना संख्या–1315 / 11–6–2013–एम (92) / 2009 दिनांक 28.11.2013 के द्वारा किसी सिनेमा का मालिक तत्काल प्रभाव से सिनेमा परिसर के अनुरक्षण और वातानुकूलन / वायुशीतन सुविधाओं हेतु प्रति टिकट मूल्य में	**11. प्रदेश में दिनांक 01–07–2017 से मॉल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के क्रियान्वयन हो जाने के उपरांत, उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर अधिनियम, 1989, उत्तर प्रदेश मॉल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा–174 द्वारा निरसित।**

से आमोद कर को छोड़कर क्रमशः रु0 6.00 और रु0 3.00 का उपयोग करेगा। इस व्यवस्था से आमोद के स्वामी सिनेमा परिसर का रख–रखाव करते हैं, जिससे सिनेमा में प्रवेश पाने वाले दर्शकों को बेहतर सुविधायें उपलब्ध होती हैं।	
12. भूमि 12.1 नवीन छविगृहों को अपने आच्छादित क्षेत्रफल के 30% की अधिकतम सीमा तक का प्रयोग वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु करने की छूट होगी। 12.2 मल्टीप्लेक्सेज तथा छविगृहों के भावी विकास के लिए प्रमुख स्थलों पर भूमि का आवंटन स्थानीय नगर प्राधिकरणों द्वारा किया जायेगा। मल्टीप्लेक्सेज/छविगृहों हेतु भूमि, आवासीय दर को न्यूनतम मानकर नीलामी द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी तथा सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा पहले मल्टीप्लेक्सेज /छविगृहों का निर्माण कराया जायेगा तथा इसके उपरान्त ही वाणिज्यिक निर्माण किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित व्यक्ति द्वारा प्रश्नगत् भूमि का कब्जा प्राप्त करने की तिथि से एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा।	12. निक्षेपित किया **जाता** है।
13. कैप्टिव विद्युत उत्पादन छविगृहों के सफल व्यावसायिक संचालन के निए नियमित तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति मूलभूत आवश्यकता है। छविगृह–स्वामियों द्वारा कैप्टिव पॉवर प्लाण्ट जनरेटर की स्थापना को सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा। इन संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत पर 3 वर्षों के लिए किसी प्रकार की विद्युत ड्यूटी नहीं लगायी जाएगी। **13.1 मिनियम कन्जम्पषन गारण्टी** अन्य उद्योंगों की भाँति ही यदि छविगृह निर्धारित वार्षिक मिनिमम कन्जम्प्शन गारण्टी कुछ ही माह में पूर्ण कर लेते हैं तो वर्ष के शेष भाग मे उनकी बिलिंग वास्तविक विद्युत	**13. निक्षेपित किया जाता है।**

उपभोग के आधार पर की जायेगी।	
14. छविगृहों को उद्योग का दर्जा उत्तर प्रदेश में छविगृहों को उद्योग का दर्जा दिया गया है।	**14. छविगृहों को उद्योग का दर्जा** उत्तर प्रदेश में छविगृहों को उद्योग का दर्जा दिया गया।
15. वैधानिक संशोधन उद्योग के प्रतिनिधियों से परामर्श के बाद सिनेमेटोग्राफी नियमावली तथा सिनेमा से सम्बन्धित अन्य कानूनों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे, ताकि मल्टीप्लेक्सेज तथा छोटे छविगृहों के निर्माण तथा स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो सके।	**15. वैधानिक संशोधन** उद्योग के प्रतिनिधियों से परामर्श के बाद सिनेमेटोग्राफी नियमावली तथा सिनेमा से सम्बन्धित अन्य कानूनों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे, ताकि मल्टीप्लेक्सेज तथा छोटे छविगृहों के निर्माण तथा स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो सके।
16. उपकरण उत्तर प्रदेश में पूर्ण रुप से क्रियाशील फिल्म नगरी/नगरियों की स्थापना होने तथा स्थानीय सिनेमा उद्योग का पर्याप्त विकास होने तक राज्य सरकार द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों यथा, शिक्षा, सूचना तथा संस्कृति में उपलब्ध उपकरण फिल्म निर्माताओं को किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। फिल्म निर्माताओं की आवश्यकता के अनुरूप इन उपकरणों के वर्तमान भण्डार को बढ़ाया जायेगा। इन उपकरणों के अर्जन तथा उनके रख–रखाव के लिए 'फिल्म विकास निधि' का उपयोग किया जायेगा। इस कार्य हेतु फिल्म बन्धु, 'नोडल एजेन्सी' के रुप में कार्य करेगा तथा समस्त उपकरणों का एक 'पूल', फिल्म बन्धु में स्थापित किया जायेगा। उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 'फिल्म बन्धु' शासकीय विभागों के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में भी पूल बना सकेगा।	**16. उपकरण** उत्तर प्रदेश में पूर्ण रुप से क्रियाशील फिल्म नगरी/नगरियों की स्थापना होने तथा स्थानीय सिनेमा उद्योग का पर्याप्त विकास होने तक राज्य सरकार द्वारा विभिन्न शासकीय विभागों यथा, शिक्षा, सूचना तथा संस्कृति में उपलब्ध उपकरण फिल्म निर्माताओं को किराए पर उपलब्ध कराए जाएंगे। फिल्म निर्माताओं की आवश्यकता के अनुरूप इन उपकरणों के वर्तमान भण्डार को बढ़ाया जायेगा। ***इन उपकरणों का अर्जन तथा रख–रखाव 'फिल्म बन्धु' द्वारा किया जायेगा।*** इस कार्य हेतु फिल्म बन्धु, 'नोडल एजेन्सी' के रुप में कार्य करेगा तथा समस्त उपकरणों का एक 'पूल', फिल्म बन्धु में स्थापित किया जायेगा। उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 'फिल्म बन्धु' शासकीय विभागों के अतिरिक्त निजी क्षेत्र में भी पूल बना सकेगा।
17. शूटिंग स्थलों का विकास प्रदेश में उपलब्ध प्रचुर नैसर्गिक सुन्दरता, समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं तथा ऐतिहासिक स्मारकों की पृष्ठभूमि का पर्यटन विभाग निरन्तरता के आधार पर प्रदेश में आउट–डोर	**17. शूटिंग स्थलों का विकास** प्रदेश में उपलब्ध प्रचुर नैसर्गिक सुन्दरता, समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं तथा ऐतिहासिक स्मारकों की पृष्ठभूमि का पर्यटन विभाग निरन्तरता के आधार पर प्रदेश में आउट–डोर

शूटिंग के लिए स्थलों का चयन कर उनका विकास करेगा तथा सक्रियता से प्रचार करेगा। इसके लिए ट्रॉन्सपैरेन्सीज, लघु फिल्में, प्रचार–साहित्य जैसे–ब्रोशर्स इत्यादि विकसित किये जायेंगे। प्रदेश की नयी 'पर्यटन नीति' के तहत निजी–क्षेत्र को इस बात के लिए उत्प्रेरित किया जाएगा कि वे इन शूटिंग स्थलों पर होटल्स, मोटल्स, रेस्टोरेन्ट तथा कैम्पिंग सुविधाओं की स्थापना करें।	शूटिंग के लिए स्थलों का चयन कर उनका विकास करेगा तथा सक्रियता से प्रचार करेगा। इसके लिए ट्रॉन्सपैरेन्सीज, लघु फिल्में, प्रचार–साहित्य जैसे–ब्रोशर्स इत्यादि विकसित किये जायेंगे। प्रदेश की नयी 'पर्यटन नीति' के तहत निजी–क्षेत्र को इस बात के लिए उत्प्रेरित किया जाएगा कि वे इन शूटिंग स्थलों पर होटल्स, मोटल्स, रेस्टोरेन्ट तथा कैम्पिंग सुविधाओं की स्थापना करें। **फिल्म नीति के प्रभावी क्रियान्वयन तथा फिल्म निर्माताओं को नियमानुसार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में फिल्म प्रमोशन एण्ड फेसिलिटेशन कमेटी का निम्नानुसार गठन किया जायेगाः–** **1. जिलाधिकारी – अध्यक्ष** **2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी – सदस्य** **3. अपर जिलाधिकारी (जिलाधिकारी द्वारा नामित) – सदस्य** **4. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/पर्यटन अधिकारी – सदस्य** **5. मनोरंजन कर विभाग के जनपदीय अधिकारी, यथा– उपायुक्त/सहायक आयुक्त/जिला मनोरंजन कर अधिकारी–सदस्य** **6. उप निदेशक/सहायक निदेशक/ जिला सूचना अधिकारी/प्रभारी जिला सूचना अधिकारी – संयोजक/नोडल अधिकारी** **यह समिति फिल्म निर्माताओं द्वारा फिल्म की शूटिंग के लिए प्रार्थना प्रत्र प्रस्तुत करने पर शूटिंग स्थल की अनुमति, फिल्म यूनिट की सुरक्षा व्यवस्था, नियमानुसार भुगतान**

	करने पर शासकीय गेस्ट हाउस/पर्यटन अतिथि में ठहरने की व्यवस्था तथा शूटिंग के बाद शूटिंग के दिवसों में जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदान किये जाने वाले प्रमाण–पत्र के समयबद्ध निर्गमन आदि का अनुश्रवण करेगी तथा जनपद में विभागों के स्तर पर आने वाली कठिनाइयों का त्वरित निराकरण करायेगी। फिल्म शूटिंग से सम्बन्धित आवेदन प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर फिल्म प्रमोशन एण्ड फेसिलिटेशन कमेटी की बैठक आयोजित कर नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
18. कलाकारों तथा तकनीशियनों का प्रशिक्षण 18.1 फिल्म उद्योग के उपयुक्त विकास के लिए यह परम् आवश्यक है कि प्रतिभा–सम्पन्न कलाकार तथा प्रशिक्षित तकनीशियन सुगमता से उपलब्ध हों। उत्तर प्रदेश में फिल्म तथा टेलीविजन इंस्टीट्यूट की एक शाखा खोलने के लिए राज्य सरकार, भारत सरकार से समन्वय स्थापित करेगी, ताकि उन प्रतिभाशाली नवयुवकों की आकांक्षा की पूर्ति हो सके, जो कि देश के उत्तरी भाग में फिल्मों को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। इस शाखा की स्थापना होने तक प्रदेश की प्रख्यात भारतेन्दु नाट्य अकादमी का विकास, **'राज्य फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान'** के रूप में किया जायेगा। 18.2 फिल्म तकनीशियनों को चुने हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया जायेगा। इस उद्देश्य से सम्बन्धित पाठ्यक्रम, कुछ संस्थानों	18. कलाकारों तथा तकनीशियनों का प्रशिक्षण 18.1 फिल्म उद्योग के उपयुक्त विकास के लिए यह परम् आवश्यक है कि प्रतिभा–सम्पन्न कलाकार तथा प्रशिक्षित तकनीशियन सुगमता से उपलब्ध हों। उत्तर प्रदेश में फिल्म तथा टेलीविजन इंस्टीट्यूट की एक शाखा खोलने के लिए राज्य सरकार, भारत सरकार से समन्वय स्थापित करेगी, ताकि उन प्रतिभाशाली नवयुवकों की आकांक्षा की पूर्ति हो सके, जो कि देश के उत्तरी भाग में फिल्मों को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। इस शाखा की स्थापना होने तक प्रदेश की प्रख्यात भारतेन्दु नाट्य अकादमी का विकास, **'राज्य फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान'** के रूप में किया जायेगा। 18.2 फिल्म तकनीशियनों को चुने हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित किया जायेगा। इस उद्देश्य से सम्बन्धित पाठ्यक्रम, कुछ संस्थानों

में प्रारम्भ किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा निजी–क्षेत्र को भी फिल्म सम्बन्धी व्यवसायों एवं पाठ्यक्रमों के साथ प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।	में प्रारम्भ किए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा निजी–क्षेत्र को भी फिल्म सम्बन्धी व्यवसायों एवं पाठ्यक्रमों के साथ प्रशिक्षण संस्थान खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
18.3 भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे तथा सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों को वार्षिक छात्रवृत्ति रु0 25,000/– दी जायेगी। छात्रवृत्तियों की अधिकतम संख्या दोनो संस्थानों में प्रत्येक के लिए अलग–अलग दस होगी। इस कार्य पर व्यय होने वाली धनराशि का वहन 'फिल्म विकास निधि' से किया जायेगा।	**18.3** भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे तथा सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों को वार्षिक छात्रवृत्ति रु0 25,000/– दी जायेगी। छात्रवृत्तियों की अधिकतम संख्या दोनो संस्थानों में प्रत्येक के लिए अलग–अलग दस होगी। इस कार्य पर व्यय होने वाली धनराशि का वहन 'फिल्म बन्धु द्वारा किया जायेगा।
18.4 प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयो में 'परफॉरर्मिंग आटर्स' के पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे, ताकि प्रदेश के युवा वर्ग को अपनी प्रतिभा विकसित एवं मुखरित करने का अवसर प्राप्त हो सके।	**18.4** प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयो में 'परफॉरर्मिंग आटर्स' के पाठ्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे, ताकि प्रदेश के युवा वर्ग को अपनी प्रतिभा विकसित एवं मुखरित करने का अवसर प्राप्त हो सके।
19. फिल्म इकाइयों के लिए आवासीय सुविधा प्रदेश में आउट–डोर शूटिंग करने वाली इकाइयों को उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के होटल्स/मोटल्स, में कमरों के किराए में 25% की छूट दी जायेगी। लोक निर्माण विभाग, वन विभाग तथा सिंचाई विभाग एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के अतिथि गृह/विश्रामालय भी इन 'फिल्म इकाइयों' को नियमित भुगतान पर उपलब्ध होंगे।	**19. फिल्म इकाइयों के लिए आवासीय सुविधा** प्रदेश में आउट–डोर शूटिंग करने वाली इकाइयों को उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के होटल्स/मोटल्स, में कमरों के किराए में 25% की छूट दी जायेगी। लोक निर्माण विभाग, वन विभाग तथा सिंचाई विभाग एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के अतिथि गृह/विश्रामालय भी इन 'फिल्म इकाइयों' को नियमित भुगतान पर उपलब्ध होंगे।
20. सरकारी हवाई पट्टियों का प्रयोग राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थित हवाई पट्टियों के प्रयोग की सुविधा	**20. सरकारी हवाई पट्टियों का प्रयोग** राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न भागों में स्थित हवाई पट्टियों के प्रयोग की सुविधा

आउट–डोर शूटिंग करने वाली फिल्म इकाइयों को निर्धारित किराये के भुगतान पर अनुमन्य करायी जा सकेगी।	आउट–डोर शूटिंग करने वाली फिल्म इकाइयों को निर्धारित किराये के भुगतान पर अनुमन्य करायी जा सकेगी।
21. फिल्मों का वित्त–पोषण 21.1 फिल्म उद्योग के विकास में फिल्मों का वित्त पोषण एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत सरकार फिल्मों को उद्योग का दर्जा देने के लिए राजी हो गयी है तथा व्यावसायिक बैंको से फिल्मों के वित्त पोषण की प्रक्रिया निर्धारण करने हेतु 'कानन समिति' का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश की राज्य वित्तीय संस्थाए पहले से ही स्टूडियो तथा उपकरणों, जैसे हार्ड–वेयर के लिए नियमित व्यावसायिक शर्तों पर वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध करा रही हैं। 'कानन समिति' की अनुशंसायें प्रस्तुत होने पर तथा भारत सरकार द्वारा उन्हें स्वीकार कर लेने पर, राज्य सरकार उन्हें अंगीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है।	21.1 निक्षेपित किया **जाता है।**
21.2 'कानन समिति' की रिपोर्ट आने तक फिल्मों का वित्त पोषण **'फिल्म बन्धु'** द्वारा 'फिल्म विकास निधि' के माध्यम से किया जायेगा। प्रदेश 'नेशनल फिल्म डवलपमेण्ट कॉरपोरेशन' पिकप अथवा बैंको के साथ संयुक्त ऋण योजना में प्रतिभागी बनेगा, किन्तु यह वित्त पोषण केवल उन्हीं फिल्मों को अनुमन्य होगा जो 75% से अधिक उत्तर प्रदेश में फिल्मांकित की जायेंगी तथा प्रदेश की छवि को उभारेंगी।	**21.2 निक्षेपित किया जाता है।**
21.3 फिल्म निधि **21.3.1** फिल्म तथा फिल्म सम्बन्धी अवस्थापना	**21.3.1** *फिल्म तथा फिल्म सम्बन्धी अवस्थापना*

पुरस्कार प्राप्त सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म तथा सर्वश्रेष्ठ हिन्दी फीचर फिल्म एवं सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म, अर्न्तराष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म, भारत सरकार के फिल्म डिवीजन द्वारा निर्मित डाक्यूमेन्ट्री फिल्म, परिवार कल्याण पर आधारित फिल्म, जिसका प्रतिशत भाग परिवार नियोजन पर ही हो, राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार/राजकीय उपकम अथवा एन.एफ.डी.सी. एवं अधिकृत सहकारिता संस्थान द्वारा निर्मित उद्देश्य पूर्ण फिल्में, जो उपरोक्त श्रेणी में सम्मिलित न हों, प्रदेश में छायांकित की जाने वाली फिल्मों को नियमानुसार कर मुक्ति करने का प्रावधान किया गया है। शासनादेश संख्या–86/11–क. नि.–6–14–बीस. आर(दस)/96 दिनांक 17.01. 2014 द्वारा प्रदेश में फिल्मों को मनोरंजन कर से मुक्त करने की नीति में संशोधन करते हुये प्रदेश में छायांकन के आधार पर कर मुक्त करने की व्यवस्था को पुनः लागू किया गया है। इसके साथ ही कर मुक्ति नीति में विहित एक समय में कर मुक्त 12 प्रिंट चलाये जाने की शर्त को समाप्त करते हुये उसके स्थान पर किसी फिल्म को अधिकतम 200 प्रिंट/वीक की कर मुक्ति प्रदान की जायेगी जिसका उपयोग 03 माह की समय–सीमा के अधीन किया जाना होगा। 22.4 **प्रगतिशील कर प्रणाली:**–राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर मनोरंजन कर के ढाँचें का पुनरीक्षण किया जायेगा ताकि इसे फिल्म निर्माण, स्टूडियो निर्माण तथा प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जा सके।	 **22.4 प्रदेश में दिनांक 01.07.2017 से माल और सेवाकर अधिनियम के क्रियान्वयन हो जाने के उपरान्त मल्टीप्लेक्स/सिनेमा पर माल और सेवाकर की दर रु0 100 के टिकट मूल्य पर 18%(CGST 9%+ SGST 9%)रुपये 100/– से अधिक टिकट मूल्य पर 28% (CGST 14%+SGST 14%)देय है।**
23. क्षेत्रीय फिल्में **23.1** अन्य राज्यों में रोजगार सृजन तथा अवस्थापना के विकास में क्षेत्रीय फिल्मों की सफल भूमिका अनुकरणीय है। प्रदेश हिन्दी भाषा का मुख्य क्षेत्र रंगारंग, अनुपम तथा माटी	**23. क्षेत्रीय फिल्में** **23.1** अन्य राज्यों में रोजगार सृजन तथा अवस्थापना के विकास में क्षेत्रीय फिल्मों की सफल भूमिका अनुकरणीय है। प्रदेश हिन्दी भाषा का मुख्य क्षेत्र रंगारंग, अनुपम तथा माटी

के विकास की विभिन्न योजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए सिनेमा टिकटों पर 50 पैसे का शुल्क चार्ज किया जायेगा। यह शुल्क प्रत्येक जिले के कोषागार में "फिल्मनिधि" के नाम से जमा किया जायेगा। इस प्रकार से एकत्र की गई धनराशि समेकित रूप में कर एवं निबंधन विभाग से ज्ञात कर उसके समतुल्य धनराशि प्रत्येक वर्ष सूचना विभाग के आयव्ययक में अलग लेखाशीर्षक खोलकर प्राविधानित करायी जायेगी, तथा उसे अनुदान के रूप में फिल्म बन्धु को स्वीकार की जायेगी, जिसे फिल्म बन्धु के अधीन स्थापित 'फिल्म विकास निधि' में जमा किया जायेगा। इसका संचालन "उत्तर प्रदेश फिल्म बन्धु" द्वारा किया जायेगा। इसके साथ ही फिल्म विकास निधि में अनुदान के अतिरिक्त फिल्म उपकरणों के किराये, फिल्म महोत्सव के आयोजन में टिकटों से होने वाली आय को भी जमा किया जायेगा। निधि से प्राप्त धनराशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यो के लिए किया जायेगा:– • फिल्म/वीडियो फिल्म/डाक्यूमेंट्री फिल्म तथा क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण हेतु अवस्थापना सुविधा का विकास। • हिन्दी फिल्म /वीडियो फिल्म/ डाक्यूमेंट्री फिल्म तथा क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करना। • उपर्युक्त फिल्मों के निर्माण के लिए वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराना। • उपर्युक्त फिल्मों के निर्माण के लिए अनुदान उपलब्ध कराना। • फिल्म निर्माण से सम्बन्धित उपरकणों की व्यवस्था। • फिल्म स्टूडियो की स्थापना। • फिल्मों के लिए पुरस्कार।	*के विकास की विभिन्न योजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए धनराशि, प्रत्येक वर्ष आय–व्ययक में सूचना विभाग की अनुदान संख्या–86 के अधीन प्राविधानित करायी जायेगी तथा उस धनराशि को फिल्मों के अनुदान आदि के संचालन हेतु उ0प्र0 फिल्म बन्धु को उपलब्ध कराया जायेगा। बजट से प्राप्त धनराशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यो के लिए किया जायेगा:–* • *हिन्दी/क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त उ0प्र0 में शूटिंग की जाने वाली* ***अंग्रेजी व देश की अन्य भाषाओं*** *की फीचर फिल्मों को अनुदान उपलब्ध कराना।* • *फिल्म निर्माण से सम्बन्धित उपरकणों की व्यवस्था।* • *फिल्म स्टूडियो/फिल्म इंस्टीट्यूट/ फिल्म सिटी आदि की स्थापना।* • *फिल्मों के लिए पुरस्कार।* • *फिल्म छात्रों के लिए छात्रवृत्ति।* • *फिल्म महोत्सवों का आयोजन।* • *फिल्म–गोष्ठियों/सेमिनार का आयोजन।* • ***राष्ट्रीय/प्रदेश स्तरीय फिल्म महोत्सव के लिए शासन की अनुमति से स्पांसरशिप।*** • फिल्म से सम्बन्धित अन्य सभी कार्यक्रम। • फिल्म बन्धु की स्थापना तथा उसके रख–रखाव सम्बन्धी व्यय।

• फिल्म छात्रों के लिए छात्रवृत्ति। • फिल्म महोत्सवों का आयोजन। • फिल्म गोष्ठियों का आयोजन। • फिल्म से सम्बन्धित अन्य सभी कार्यक्रम। • फिल्म बन्धु की स्थापना तथा उसके रख–रखाव सम्बन्धी व्यय।	
22. वित्तीय प्रोत्साहन **22.1 <u>व्यापार–कर से छूट</u>:** राज्य सरकार ने पूर्व में ही फिल्म को उद्योग घोषित कर दिया है। फिल्म निर्माताओं द्वारा वितरकों तथा फिल्म प्रदर्शकों को फिल्मों के प्रयोग के अधिकार के अन्तरण पर देय व्यापार–कर को मुक्त करने का निर्णय प्रदेश शासन द्वारा लिया गया है।	22. वित्तीय प्रोत्साहन **22.1 राज्य माल और सेवा कर(GST) की प्रतिपूर्ति:–** **वर्तमान में जीएसटी प्रणाली लागू की गयी है। तद्नुसार उचित कार्यवाही की जायेगी।**
22.2 **<u>कर प्रोत्साहन</u>:** राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही उत्तर प्रदेश में फिल्मांकित फिल्मों के लिए आकर्षक मनोरंजन कर रियायतों की घोषणा की जा चुकी है। इस घोषणा के अनुसार जिन फिल्मों की 50% शूटिंग उत्तर प्रदेश में की जायेगी, उन्हें छः माह की अवधि के लिए मनोरंजन कर में 50% की रियायत दी जायेगी और जिन फिल्मों की 75% से अधिक शूटिंग प्रदेश में की जायेगी, उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए मनोरंजन कर में शत–प्रतिशत रियायत दी जायेगी। यह व्यवस्था दिनांक 31.03.2006 तक प्रभावी थी। पुनः इस व्यवस्था को शासनादेश संख्या–86/11–क.नि.–6–14–बीस आर(10)/96 दिनांक 17.01.2014 द्वारा पुनः लागू किया गया है।	**22.2 निक्षेपित किया जाता है।**
22.3 फिल्मों की कर मुक्ति–फिल्मों को मनोरंजन कर मुक्ति प्रदान करने के सम्बंध में शासनादेश संख्या–1053/11–क.नि–6–2000, बीस आर(10)/96 दिनांक 13 जून,2000 द्वारा नीति निर्धारित की गयी है। जिसके अंतर्गत 'द चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी' द्वारा निर्मित अथवा अधिगृहीत फिल्मों, भारत सरकार से राष्ट्रीय	22.3 **मल्टीप्लेक्स/सिनेमा के स्वामी/लाइसेंसी द्वारा जमा किये गये अग्रिम राज्य माल एवं सेवाकर की, दर्शकों को दी गयी छूट के समतुल्य, प्रतिपूर्ति, कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 के शासनादेश संख्या–612/11–6–2017–एम(43)/17 दिनांक 09.08.2017 के अधीन रहते हुए किया जायेगा।**

से जुड़ी हुई लोक–संस्कृति से समृद्ध होने के पश्चात् भी क्षेत्रीय, भाषाई तथा आँचलिक सिनेमा से वंचित रहा है। उ0प्र0 की क्षेत्रीय बोलियों का प्रयोग भारतीय साहित्य में व्यापक रूप से हुआ है। भोजपुरी, अवधी, बुन्देली तथा ब्रज बोलियाँ बोलने वाले लोग, न केवल देश में फैले हुए हैं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में रहते हैं। पूर्व में बनायी गयीं अनेक भोजपुरी फिल्मों को व्यावसायिक दृष्टि से अत्यधिक सफलता मिली है और भारतीय सिनेमा की कुछ सर्वश्रेष्ठ फिल्में इसी भाषा में बनायी गयी हैं। अतः क्षेत्रीय फिल्मों के विकास एवं उनकी सफलता की प्रबल संभावनाएं हैं।	से जुड़ी हुई लोक–संस्कृति से समृद्ध होने के पश्चात् भी क्षेत्रीय, भाषाई तथा आँचलिक सिनेमा से वंचित रहा है। उ0प्र0 की क्षेत्रीय बोलियों का प्रयोग भारतीय साहित्य में व्यापक रूप से हुआ है। भोजपुरी, अवधी, बुन्देली तथा ब्रज बोलियाँ बोलने वाले लोग, न केवल देश में फैले हुए हैं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में रहते हैं। पूर्व में बनायी गयीं अनेक भोजपुरी फिल्मों को व्यावसायिक दृष्टि से अत्यधिक सफलता मिली है और भारतीय सिनेमा की कुछ सर्वश्रेष्ठ फिल्में इसी भाषा में बनायी गयी हैं। अतः क्षेत्रीय फिल्मों के विकास एवं उनकी सफलता की प्रबल संभावनाएं हैं।
23.2 राज्य सरकार इन बोलियों तथा संस्कृतियों में अन्तर्निहित शक्ति एवं सम्भावनाओं से पूर्ण रूप से परिचित है। इन क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण को सक्रिय रुप से प्रोत्साहित किया जायेगा। इससे न केवल एक सशक्त क्षेत्रीय एवं आँचलिक फिल्म उद्योग का विकास होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर पर्याप्त संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे और प्रदेश की स्थानीय संस्कृतियों की छवि प्रक्षेपित होगी। क्षेत्रीय फिल्म उद्योग के विकास से एक ऐसा वातावरण बनेगा, जो उ0प्र0 में मुख्य धारा की हिन्दी फिल्मों के निर्माण को भी आकर्षित करेगा। एक पनपता हुआ क्षेत्रीय फिल्म उद्योग फिल्म सम्बन्धी अवस्थापना को आर्थिक रुप से सबल बनाने में भी सहायक होगा, इसलिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय फिल्मों के विकास के लिए प्रोत्साहन दिये जायेंगे।	**23.2** राज्य सरकार इन बोलियों तथा संस्कृतियों में अन्तर्निहित शक्ति एवं सम्भावनाओं से पूर्ण रूप से परिचित है। इन क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण को सक्रिय रुप से प्रोत्साहित किया जायेगा। इससे न केवल एक सशक्त क्षेत्रीय एवं आँचलिक फिल्म उद्योग का विकास होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर पर्याप्त संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे और प्रदेश की स्थानीय संस्कृतियों की छवि प्रक्षेपित होगी। क्षेत्रीय फिल्म उद्योग के विकास से एक ऐसा वातावरण बनेगा, जो उ0प्र0 में मुख्य धारा की हिन्दी फिल्मों के निर्माण को भी आकर्षित करेगा। एक पनपता हुआ क्षेत्रीय फिल्म उद्योग फिल्म सम्बन्धी अवस्थापना को आर्थिक रुप से सबल बनाने में भी सहायक होगा, इसलिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय फिल्मों के विकास के लिए प्रोत्साहन दिये जायेंगे।
23.3 <u>अनुदान/प्रोत्साहन व्यवस्था</u>	**23.3 <u>अनुदान/प्रोत्साहन व्यवस्था</u>**
1. उ0प्र0 फिल्म नीति–2001 (यथा संशोधित –2014) के प्रस्तर–23.3.1 के अन्तर्गत अवधी, ब्रज, बुन्देली, भोजपुरी फिल्मों के लिए अनुदान की सीमा लागत का	1. उ0प्र0 फिल्म नीति–2001 (यथा संशोधित –2014) के प्रस्तर–23.3.1 के अन्तर्गत अवधी, ब्रज, बुन्देली, भोजपुरी फिल्मों के लिए अनुदान की सीमा लागत

<table>
<tr>
<td>
अधिकतम 50 प्रतिशत तथा हिन्दी फिल्मों के लिए अनुदान की सीमा लागत का अधिकतम 25 प्रतिशत तक होगी।

2. प्रदेश में निर्मित उपरोक्त बिन्दु–1 में उल्लिखित फिल्मों, जिनके कुल शूटिंग दिवसों में से कम से कम आधे दिवसों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में की गयी हो, के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा रूपये–1,00,00,000.00 (रूपये एक करोड़ मात्र) तक होगी ।
3. प्रदेश में निर्मित उपरोक्त बिन्दु–1 में उल्लिखित फिल्मों, जिनके कुल शूटिंग दिवसों मे से दो तिहाई दिवसों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में की गयी हो, के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा रूपये–2,00,00,000.00 (रूपये दो करोड़ रूपये मात्र) तक होगी ।
4. फिल्म नीति के अन्तर्गत प्रदेश में निर्मित किये जाने के आधार पर एक बार अनुदान प्राप्त फिल्म के बाद, अग्रेतर फिल्म बनायें जाने पर निम्नलिखित धनराशि अनुदान के रूप में दी जा सकेगी:–
<table>
<tr><th>फिल्म का विवरण</th><th>प्रदेश में फिल्म में शूटिंग की स्थिति</th><th>अनुदान की अधिकतम धनराशि</th></tr>
<tr><td>प्रदेश में द्वितीय फिल्म</td><td>फिल्म की कुल शूटिंग में से आधे दिवसों की शूटिंग करने पर</td><td>रू0 1.25 करोड़ मात्र</td></tr>
<tr><td></td><td>फिल्म की</td><td>रू0 2.25 करोड़</td></tr>
</table>
</td>
<td>
का अधिकतम 50 प्रतिशत तथा हिन्दी, अंग्रेजी तथा देश की अन्य भाषाओं में निर्मित फिल्मों के लिए अनुदान की सीमा लागत का अधिकतम 25 प्रतिशत तक होगी।
2. प्रदेश में निर्मित उपरोक्त बिन्दु–1 में उल्लिखित फिल्मों, जिनके कुल शूटिंग दिवसों में से कम से कम आधे दिवसों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में की गयी हो, के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा रू 1.00 (रूपये एक करोड़ मात्र) तक होगी।
3. प्रदेश में निर्मित उपरोक्त बिन्दु–1 में उल्लिखित फिल्मों, जिनके कुल शूटिंग दिवसों मे से दो तिहाई दिवसों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में की गयी हो, के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा रूपये–2.00 (रूपये दो करोड़ रूपये मात्र) तक होगी।
4. फिल्म नीति के अन्तर्गत प्रदेश में निर्मित किये जाने के आधार पर एक बार अनुदान प्राप्त फिल्म के बाद, अग्रेतर फिल्म बनायें जाने पर निम्नलिखित धनराशि अनुदान के रूप में दी जा सकेगी:–
<table>
<tr><th>फिल्म का विवरण</th><th>प्रदेश में फिल्म में शूटिंग की स्थिति</th><th>अनुदान की अधिकतम धनराशि</th></tr>
<tr><td>प्रदेश में द्वितीय फिल्म</td><td>फिल्म की कुल शूटिंग में से आधे दिवसों की शूटिंग करने पर</td><td>रू0 1.25 करोड़ मात्र</td></tr>
<tr><td></td><td>फिल्म की</td><td>रू0 2.25 करोड़</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>

	कुल शूटिंग में से दो तिहाई दिवसों की शूटिंग करने पर	मात्र
प्रदेश में तृतीय फिल्म	फिल्म की कुल शूटिंग में से आधे दिवसों की शूटिंग करने पर	रू0 1.50 करोड़ मात्र
	फिल्म की कुल शूटिंग में से दो तिहाई दिवसों की शूटिंग करने पर	रू0 2.50 करोड़ मात्र
प्रदेश में चतुर्थ फिल्म	फिल्म की कुल शूटिंग में से आधे दिवसों की शूटिंग करने पर	रू0 1.75 करोड़ मात्र
	फिल्म की कुल शूटिंग में से दो तिहाई दिवसों की शूटिंग करने पर	रू0 2.75 करोड मात्र
प्रदेश में पंचम फिल्म अथवा उसके उपरान्त	फिल्म की कुल शूटिंग में से आधे दिवसों की शूटिंग करने पर	रू0 2.00 करोड मात्र

	कुल शूटिंग में से दो तिहाई दिवसों की शूटिंग करने पर	मात्र
प्रदेश में तृतीय फिल्म अथवा उसके उपरान्त	फिल्म की कुल शूटिंग में से आधे दिवसों की शूटिंग करने पर	रू0 1.50 करोड़ मात्र
	फिल्म की कुल शूटिंग में से दो तिहाई दिवसों की शूटिंग करने पर	रू0 2.50 करोड़ मात्र

	फिल्म की कुल शूटिंग में से दो तिहाई दिवसों की शूटिंग करने पर	रू0 3.00 करोड़ मात्र

5. राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त निर्माता/निर्देशक द्वारा फिल्म नीति के अन्तर्गत प्रदेश में निर्मित किये जाने के आधार पर एक बार अनुदान प्राप्त करने के बाद अग्रेत्तर फिल्में बनाये जाने पर अनुदान धनराशि निम्नवत होगी:–

फिल्म का विवरण	**प्रदेश में फिल्म में शूटिंग की स्थिति**	**अनुदान की अधिकतम धनराशि**
प्रदेश में द्वितीय फिल्म	फिल्म की कुल शूटिंग में से आधे दिवसों की शूटिंग करने पर	रू0 1.75 करोड़ मात्र
	फिल्म की कुल शूटिंग में से दो तिहाई दिवसों की शूटिंग करने पर	रू0 2.25 करोड़ मात्र
प्रदेश में तृतीय फिल्म	फिल्म की कुल शूटिंग में से आधे दिवसों की शूटिंग करने पर	रू0 2.25 करोड़ मात्र
	फिल्म की कुल शूटिंग में से दो तिहाई दिवसों की शूटिंग करने पर	रू0 3.25 करोड़ मात्र
प्रदेश में चतुर्थ फिल्म	फिल्म की कुल शूटिंग में से आधे दिवसों की शूटिंग करने पर	रू0 2.50 करोड़ मात्र

5. राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त निर्माता/निर्देशक द्वारा फिल्म नीति के अन्तर्गत प्रदेश में निर्मित किये जाने के आधार पर एक बार अनुदान प्राप्त करने के बाद अग्रेत्तर फिल्में बनाये जाने पर अनुदान धनराशि निम्नवत होगी:–

फिल्म का विवरण	**प्रदेश में फिल्म में शूटिंग की स्थिति**	**अनुदान की अधिकतम धनराशि**
प्रदेश में द्वितीय फिल्म	फिल्म की कुल शूटिंग में से आधे दिवसों की शूटिंग करने पर	रू0 1.75 करोड़ मात्र
	फिल्म की कुल शूटिंग में से दो तिहाई दिवसों की शूटिंग करने पर	रू0 2.25 करोड़ मात्र
प्रदेश में तृतीय फिल्म अथवा उसके उपरान्त	फिल्म की कुल शूटिंग में से आधे दिवसों की शूटिंग करने पर	रू0 2.25 करोड़ मात्र
	फिल्म की कुल शूटिंग में से दो तिहाई दिवसों की शूटिंग करने पर	रू0 3.25 करोड़ मात्र

	फिल्म की कुल शूटिंग में से दो तिहाई दिवसों की शूटिंग करने पर	रू0 3.50 करोड़ मात्र	
प्रदेश में पंचम फिल्म अथवा उसके उपरान्त	फिल्म की कुल शूटिंग में से आधे दिवसों की शूटिंग करने पर	रू0 2.75 करोड़ मात्र	
	फिल्म की कुल शूटिंग में से दो तिहाई दिवसों की शूटिंग करने पर	रू0 3.75 करोड़ मात्र	
6. यदि किसी फिल्म निर्माता द्वारा प्रदेश में ऐसी फिल्म की शूटिंग की जाती है/निर्मित की जाती है, जिसके मुख्य पाँच कलाकार उत्तर प्रदेश के ही हैं तो उक्त फिल्म हेतु उनकलाकरों को फिल्म पारिश्रमिक के रूप में दी जाने वाली धनराशि या सम्मिलित रूप से रू0 25,00,000/– (रू0 पच्चीस लाख मात्र) जो भी कम हो, का अतिरिक्त अनुदान दिया जा सकेगा।			6. यदि किसी फिल्म निर्माता द्वारा प्रदेश में ऐसी फिल्म की शूटिंग की जाती है/निर्मित की जाती है, जिसके मुख्य पाँच कलाकार उत्तर प्रदेश के ही हैं तो उक्त फिल्म हेतु उनकलाकरों को फिल्म पारिश्रमिक के रूप में दी जाने वाली धनराशि या सम्मिलित रूप से रू0 25,00,000/– (रू0 पच्चीस लाख मात्र) जो भी कम हो, का अतिरिक्त अनुदान दिया जा सकेगा।
7. इसी प्रकार यदि किसी फिल्म निर्माता द्वारा प्रदेश में ऐसी फिल्म की शूटिंग की जाती है/निर्मित की जाती है जिसके समस्त कलाकार उत्तर प्रदेश के ही है, तो उक्त फिल्म हेतु उन कलाकरों को फिल्म पारिश्रमिक के रूप में दी जाने वाली धनराशि या सम्मिलित रूप से रू0 50,00,000/– (रू0 पचास लाख मात्र) जो भी कम हो, का			7. इसी प्रकार यदि किसी फिल्म निर्माता द्वारा प्रदेश में ऐसी फिल्म की शूटिंग की जाती है/निर्मित की जाती है जिसके समस्त कलाकार उत्तर प्रदेश के ही है, तो उक्त फिल्म हेतु उन कलाकरों को फिल्म पारिश्रमिक के रूप में दी जाने वाली धनराशि या सम्मिलित रूप से रू0 50,00,000/– (रू0 पचास लाख मात्र) जो भी कम हो, का अतिरिक्त अनुदान

अतिरिक्त अनुदान दिया जा सकेगा।	दिया जा सकेगा।
8. यदि किसी फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म शूटिंग के उपरान्त फिल्म की प्रोसेसिंग प्रदेश में ही की जाती है, तो उक्त प्रोसेसिंग पर आने वाली लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0–50.00 लाख का अनुदान, जो भी कम हो, अतिरिक्त रूप से स्वीकृत किया जा सकेगा।	8. यदि किसी फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म शूटिंग के उपरान्त फिल्म की प्रोसेसिंग प्रदेश में ही की जाती है, तो उक्त प्रोसेसिंग पर आने वाली लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0–50.00 लाख का अनुदान, जो भी कम हो, अतिरिक्त रूप से स्वीकृत किया जा सकेगा।
9. यदि कोई निवेशक उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में (नोएडा/ग्रेटर नोएडा को छोड़कर) फिल्म प्रशिक्षण संस्थान खोलता है, तो लागत धनराशि का 50 प्रतिशत अथवारू0–50.00 लाख में से जो भी कम हो, का अधिकतम अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा।	9. यदि कोई निवेशक उत्तर प्रदेश के बड़े शहरों में (नोएडा/ग्रेटर नोएडा को छोड़कर) फिल्म प्रशिक्षण संस्थान खोलता है, तो लागत धनराशि का 50 प्रतिशत अथवारू0–50.00 लाख में से जो भी कम हो, का अधिकतम अनुदान स्वीकृत किया जा सकेगा।
10. यदि कोई फिल्म निर्माता उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण/फिल्म की शूटिंग के माध्यम से प्रदेश के पर्यटन स्थलों, सांस्कृतिक थीम/विरासत के सम्बन्ध में फिल्म निर्मित करता है, जिससे प्रदेश तथा प्रदेश के बाहर, प्रदेश की विशिष्ट पहचान बनती हो उसे रू0–50.00 लाख, फिल्म को दिये जाने वाले अनुदान की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत दिया जा सकेगा।	10. **निक्षेपित किया जाना प्रस्तावित है।**
11. प्रदेश में बोली जाने वाली हिन्दी भाषा सहित अवधी, ब्रज, बुन्देली एवं भोजपुरी भाषाओं में अधिकाधिक फिल्में निर्मित किये जाने एवं फिल्म को उद्योग के रूप में विकसित करने तथा रोजगार सृजन बढ़ाये जाने के दृष्टिगत एक वित्तीय वर्ष में रू0–5.00 करोड़ से	11. प्रदेश में बोली जाने वाली हिन्दी भाषा सहित अवधी, ब्रज, बुन्देली एवं भोजपुरी भाषाओं **के अतिरिक्त अंग्रेजी एवं देश की अन्य भाषाओं में** अधिकाधिक फिल्में निर्मित किये जाने एवं फिल्म को उद्योग के रूप में विकसित करने तथा रोजगार सृजन बढ़ाये जाने के दृष्टिगत एक वित्तीय वर्ष

अधिक अनुदान अवमुक्त न करने की शर्त को शिथिल किया जाता है।	में रू0–5.00 करोड़ से अधिक अनुदान अवमुक्त न करने की शर्त को शिथिल किया जाता है।
12. उपरोक्तानुसार दिये जाने वाले अनुदान का आकलन किये जाने हेतु जो समिति बनायी जाये,उसमें सनदी लेखाकार, जिसे फिल्म निर्माण के लेखों की लेखा परीक्षा का अनुभव हो, उसे भी सदस्य के रूप में रखा जाये, जिससे कि निर्माण लागत के आकलन में सुविधा हो।	**12. अनुदान चयन के लिए पटकथा की गुणवत्ता एवं बजट का परीक्षण उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद द्वारा किया जायेगा। पटकथा के परीक्षण के लिए परिषद द्वारा स्क्रिप्ट परीक्षण कमेटी तथा अनुदान से सम्बन्धित बीजकों के परीक्षण के लिए वित्त विषेशज्ञ कमेटी का गठन किया जायेगा फिल्म विकास परिषद् के अस्तित्व में न होने की दशा में, यह कार्य अध्यक्ष, फिल्म बन्धु द्वारा किया जायेगा।**
13. अनुदान चयन के लिए पटकथा की गुणवत्ता, निर्देशक का अनुभव व ख्याति एवं बजट का परीक्षण उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद द्वारा किया जायेगा। फिल्म विकास परिषद् के अस्तित्व में न होने की दशा में, यह कार्य अध्यक्ष फिल्म बन्धु द्वारा किया जायेगा।	13. उपरोक्तानुसार दिये जाने वाले अनुदान **का आकलन कोषाध्यक्ष, फिल्म बन्धु तथा विभिन्न विभागों के वित्त एवं लेखा संवर्ग के** अधिकारियों **की समिति द्वारा किया जायेगा। इस कार्य के लिए सनदी लेखाकार की सहायता ली जा सकेगी। फिल्म बन्धु इस कार्य के लिए संविदा/आउटसोर्स पर वित्तीय सलाहकार भी नियुक्ति कर सकती हैं।** स्क्रिप्ट परीक्षण कमेटी निम्नानुसार होगी:– 1. सूचना निदेषक द्वारा नामित अधिकारी 2. महानिदेशक, पर्यटन विभाग द्वारा नामित अधिकारी 3. निदेशक, हिन्दी संस्थान द्वारा नामित अधिकारी 4. निदेशक, आकाशवाणी द्वारा नामित अधिकारी 5. निदेशक, दूरदर्शन द्वारा नामित अधिकारी 6. निदेशक संस्कृति द्वारा संगीत नाटक

	अकादमी का नामित अधिकारी 7. निदेशक संस्कृति द्वारा भारतेन्दु नाट्य अकादमी का नामित अधिकारी 8. भाषा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित अधिकारी 9. फिल्म पटकथा लेखन में ख्यातिप्राप्त व्यक्ति (अधिकतम 03)
14. अनुदान फिल्म के रॉ–स्टाक, रिकार्डिंग एवं री–रिकार्डिंग, लैब एवं स्टूडियो से संबंधित व्यय, फिल्म यूनिट के उत्तर प्रदेश में होटल आदि में रूकने का किराया, शूटिंग के दौरान प्रदेश में आवागमन (लोकल कन्वेन्स के रूप में टैक्सी किराया आदि), कॉस्टयूम, मेक–अप मैटीरियल एवं ज्वैलरी के किराये, उत्तर प्रदेश के फिल्म संस्थानों/फर्मों से किराये पर लिये गये उपकरणों तथा उत्तर प्रदेश में फिल्म लोकेशन के किराये पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के रूप में, दिया जायेगा। फिल्म की लागत के संबंध में सी0ए0 द्वारा प्रमाणित वास्तविक व्यय के मूल प्रमाण पत्र के साथ उपरोक्त समस्त प्रकार के व्यय के संबंध में विस्तृत विवरण एवं तत्संबंधी बीजकों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।	14. **अनुदान फिल्म के रॉ–स्टाक,** ***गीत/संगीत रिकार्ड़िग, पोस्ट प्रोडक्शन (एडटिंग, साउन्ड वर्क, रि–रिकार्डिंग, विजुएल इफेक्टस /एनीमेशन, डी0आई/ कलर ग्रेडिंग आदि तकनीकी कार्य)*** **से संबंधित व्यय,** फिल्म यूनिट के उत्तर प्रदेश में होटल आदि में ठहरने का किराया, शूटिंग के दौरान प्रदेश में आवागमन (लोकल कन्वेन्स के रूप में टैक्सी किराया आदि) उत्तर प्रदेश से किराये पर लिए गये कास्टयूम, मेक–अप मैटीरियल एवं ज्वैलरी आदि, उत्तर प्रदेश के फिल्म संस्थानों/फर्मो से किराये पर लिये गये उपकरणो तथा उत्तर प्रदेश में फिल्म लोकेशन के किराये पर होने वाले व्यय को अनुदान में सम्मिलित किया जायेगा। ***फिल्म की लागत के संबंध में सी0ए0 द्वारा प्रमाणित वास्तविक व्यय के मूल प्रमाण पत्र के साथ उपरोक्त समस्त प्रकार के व्यय के संबंध में विस्तृत विवरण एवं तत्संबंधी बीजकों की स्वप्रमाणित मूल प्रति तथा दो सेट छायाप्रतियां प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।*** ***फिल्म अनुदान के लिए निर्माता/बैनर द्वारा प्रस्तुत बीजकों के भुगतान में सरकार द्वारा स्थापित वित्तीय नियमों का पालन करने पर ही अनुदान दिया जायेगा।*** ***फिल्म प्रोडक्सन पर आने वाले प्रत्येक व्यय के प्रमाणस्वरुप बैंक स्टेटमेन्ट, कैश बुक, अकाउन्ट बुक, सी0ए0 द्वारा प्रमाणित कुल वास्तविक व्यय, उपकरण का किराया,***

	म्यूजिक–रिकार्डिंग, साउण्ट ट्रैक, एक्टर आदि से सम्बन्धित अनुबन्ध पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक व्यय के सापेक्ष आयकर/जी0एस0टी0 व अन्य प्रासंगिक कर अदा करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। फिल्म निर्माण में नगद भुगतान भारत सरकार/आर0बी0 आई0/राज्य सरकार के दिशा–निर्देश के अनुसार ही मान्य होगा। फिल्म निर्माण से सम्बन्धित समस्त क्रय/किराये का कार्य रजिस्ट्रर्ड फर्मो से किया जायेगा।
15. फिल्म की कुल शूटिंग दिवसों के संबंध में निर्माता/निर्देशक द्वारा शपथ पत्र एवं अन्य संबंधित प्रपत्र दिया जाना आवश्यक होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश में की गयी शूटिंग के दिवसों का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। 16. उक्त अनुदान केवल प्रथम प्रिन्ट की सीमा तक के लिए ही दिया जायेगा। 17. अनुदान, फिल्म का निर्माण करने वाली संस्था को ही दिया जायेगा। 18. उत्तर प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन, ऐतिहासिक धरोहर तथा गंगा यमुनी तहजीब पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का लखनऊ में यथासंभव प्रतिवर्ष आयोजन किया जायेगा। 19. इस संम्बन्ध में विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण फिल्म बन्धु उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा।	15. फिल्म की कुल शूटिंग दिवसों के संबंध में निर्माता/निर्देशक द्वारा शपथ पत्र एवं अन्य संबंधित प्रपत्र दिया जाना आवश्यक होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश में की गयी शूटिंग के दिवसों का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। 16. उक्त अनुदान केवल प्रथम प्रिन्ट की सीमा तक के लिए ही दिया जायेगा। 17. अनुदान, फिल्म का निर्माण करने वाली संस्था को ही दिया जायेगा। 18. उत्तर प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन, ऐतिहासिक धरोहर तथा गंगा यमुनी तहजीब पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का लखनऊ में यथासंभव प्रतिवर्ष आयोजन किया जायेगा। 19. इस संम्बन्ध में विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण फिल्म बन्धु उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा। 20. ***"एक राष्ट्र, श्रेष्ठ राष्ट्र की भावना" के अनुरूप प्रदेश में कुल शूटिंग दिवसों में से कम से कम आधे दिवसों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में की गयी हो, के अनुसार निर्मित होने वाली अंग्रेजी एवं देश की अन्य भाषाओं(उत्तर***

प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं को छोड़कर) की फिल्मों के लिए, अनुदान की सीमा, लागत का 50 प्रतिशत अथवा रूपये 50 लाख तक में जो न्यूनतम हो, होगी।

21. ऐसे विदेशी नागरिको (O.C.I) जिनके पूर्वज भारत के मूल निवासी थे तथा मारिशस/फिजी/सूरीनाम/हॉलैण्ड आदि देशों में निवास कर रहे है, के द्वारा भारतीय विषयों पर प्रदेश में निर्मित की जाने वाली फिल्मों के लिए, कुल शूटिंग दिवसों में से कम से कम आधे दिवसों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में की गयी हो, के अनुसार निर्मित होने वाली फिल्मों के लिए, अनुदान की सीमा, लागत का 50 प्रतिशत अथवा रूपये 50 लाख तक में जो न्यूनतम हो, होगी। निर्मित फिल्म के लिए भारत के सेंसर बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र तथा फिल्म का प्रदर्शन भारत में होना आवश्यक है।

सरकार द्वारा विदेशी फर्मों/व्यक्तियों (O.C.I) को अनुदान/प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु स्थापित नियमों का अनुपालन आवश्यक होगा।

22. फिल्म अनुदान के लिए निर्धारित आवेदन पत्र के क्रमाक-9 में फिल्म निर्माता/निर्देशक/फर्म/संस्था/ प्रोड्यूसर/पार्टनर का अद्यतन तीन वर्षों का आयकर जमा सम्बंधी प्रमाण-पत्र को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इस संबंध में विदेश में रहने वाले ऐसे नागरिक (O.C.I) जिनके पूर्वज भारत के मूल निवासी थे के द्वारा संबंधित देश की नागरिकता प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराये जाने पर आयकर रिटर्न जमा करने संबंधी प्रपत्र, संबंधित देश के कानूनों को ध्यान में रखते हुए, में शिथिलता/छूट प्रदान की जायेगी। फिल्म निर्माता द्वारा तीन वर्षो का सर्टिफाइड अकाउन्टस/टर्नओवर प्रस्तुत करना होगा। पत्राचार हेतु संबंधित देश का स्थायी पता तथा भारत में निवास स्थल/कार्या

	स्थल का स्थायी/ अस्थायी पता देना आवश्यक है।
23.4 दो **सप्ताह** के लिए क्षेत्रीय फिल्मों **का अनिवार्य प्रदर्शनः**–क्षेत्रीय सिनेमा को सुनिश्चित प्रदर्शन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में स्थित सभी छविगृहों के लिए वर्ष में, यथासंभव, कम से कम दो सप्ताह के लिए क्षेत्रीय फिल्मों के प्रदर्शन की व्यवस्था की जायेगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955के अन्तर्गत अधिसूचना निर्गत की जायेगी।	**23.4** निक्षेपित किया जाता है।
23.5 कर रियायतः–उपर्युक्तकिसी भी बोली में उत्तर प्रदेश के अन्दर बनाई गई क्षेत्रीय फिल्मों को मनोरंजन कर में एक वर्ष की अवधि के लिए 100% छूट दी जायेगी।	**23.5** निक्षेपित किया जाता है।
24. प्रशासनिक सुविधाएं 24.1 **फिल्म विकास परिषदः**–उत्तर प्रदेश में फिल्म क्षेत्र के दीर्घकालिक तथा अर्थपूर्ण विकास के लिए राज्य स्तरीय फिल्म विकास परिषद की स्थापना की जायेगी। इस परिषद की अध्यक्षता सरकार द्वारा नामित किसी ख्यातिप्राप्त फिल्मी व्यक्तित्व द्वारा की जायेगी। इस परिषद में प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता, वितरक, कलाकार तथा शासकीय अधिकारी होंगें। सूचना निदेशक, उ0प्र0, इस परिषद के संयोजक होगें। यह परिषद समय–समय पर उत्तर प्रदेश में फिल्मों के विकास के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों पर विचार–विमर्श करेगी, फिल्मों के विकास के लिए आवश्यक अवस्थापना के उच्चीकरण तथा सृजन पर शासन को परामर्श देगी और साथ ही फिल्म क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने हेतु रणनीति तैयार करेगी। इस परिषद द्वारा 'फिल्म नीति' के क्रियान्वयन का अनुश्रवण किया जायेगा तथा जब कभी और जहाँ कहीं किसी सुधार व संशोधन की आवश्यकता होगी तो इसके लिए सुझाव दिया जाएगा।	**24. प्रशासनिक सुविधाएं** 24.1 **फिल्म विकास परिषदः**–उत्तर प्रदेश में फिल्म क्षेत्र के दीर्घकालिक तथा अर्थपूर्ण विकास के लिए राज्य स्तरीय फिल्म विकास परिषद की स्थापना की जायेगी। इस परिषद की अध्यक्षता सरकार द्वारा नामित किसी ख्यातिप्राप्त फिल्मी व्यक्तित्व द्वारा की जायेगी। इस परिषद में प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता, वितरक, कलाकार तथा शासकीय अधिकारी होंगें। सूचना निदेशक, उ0प्र0, इस परिषद के संयोजक होगें। यह परिषद समय–समय पर उत्तर प्रदेश में फिल्मों के विकास के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों पर विचार–विमर्श करेगी, फिल्मों के विकास के लिए आवश्यक अवस्थापना के उच्चीकरण तथा सृजन पर शासन को परामर्श देगी और साथ ही फिल्म क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने हेतु रणनीति तैयार करेगी। इस परिषद द्वारा 'फिल्म नीति' के क्रियान्वयन का अनुश्रवण किया जायेगा तथा जब कभी और जहाँ कहीं किसी सुधार व संशोधन की आवश्यकता होगी तो इसके लिए सुझाव दिया जाएगा।

24.2 **राज्य फिल्म प्रभाग का गठनः**–उत्तर प्रदेश में बनी लघु/शैक्षिक फिल्मों को छविगृहों में चलाने तथा फिल्म नीति के क्रियान्वयन हेतु सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय के अधीन राज्य फिल्म प्रभाग का गठन किया गया है। यह प्रभाग प्रदेश में फिल्मों, विशेषकर क्षेत्रीय फिल्मों के लिए सुगम, सरल तथा समयबद्ध प्रमाणीकरण सुविधा उपलब्ध करायेगा। राज्य फिल्म प्रभाग में निम्न पदाधिकारी है :– 1. निदेशक, सूचना उ0प्र0,अध्यक्ष 2. निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ,सदस्य 3. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ, सदस्य 4. निदेशक, संस्कृति, उ0प्र0,सदस्य 5. आयुक्त, मनोरंजन कर, उ0प्र0,सदस्य या उसके प्रतिनिधि जो अपर आयुक्त से नीचे न हो। 6. अपर निदेशक, सूचना उ0प्र0, सदस्य 7. उप निदेशक, फिल्म, सूचना, उ0प्र0, सदस्य या निदेशक, सूचना द्वारा नामित अधिकारी।	24.2 **राज्य फिल्म प्रभाग का गठनः**–उत्तर प्रदेश में बनी लघु/शैक्षिक फिल्मों को छविगृहों में चलाने तथा फिल्म नीति के क्रियान्वयन हेतु सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय के अधीन राज्य फिल्म प्रभाग का गठन किया गया है। यह प्रभाग प्रदेश में फिल्मों, विशेषकर क्षेत्रीय फिल्मों के लिए सुगम, सरल तथा समयबद्ध प्रमाणीकरण सुविधा उपलब्ध करायेगा। राज्य फिल्म प्रभाग में निम्न पदाधिकारी है 1. निदेशक, सूचना उ0प्र0,अध्यक्ष 2. निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ,सदस्य 3. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ, सदस्य 4. निदेशक, संस्कृति, उ0प्र0,सदस्य 5. आयुक्त, मनोरंजन कर, उ0प्र0,सदस्य या उसके प्रतिनिधि जो अपर आयुक्त से नीचे न हो। 6. अपर निदेशक, सूचना उ0प्र0, सदस्य 7. उप निदेशक, फिल्म, सूचना, उ0प्र0, सदस्य या निदेशक, सूचना द्वारा नामित अधिकारी।
24.3 **<u>पृथक वितरण क्षेत्र</u>** : हिन्दी फिल्मों से प्राप्त होने वाले राजस्व में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बावजूद, फिल्म वितरण के लिए इसे अन्य क्षेत्रों के साथ रखा गया है। उत्तर प्रदेश राज्य का यह प्रयास होगा और इस बात पर बल दिया जायेगा कि उत्तर प्रदेश एक पृथक वितरण क्षेत्र के रूप में स्थापित हो। इससे उत्तर प्रदेश से प्राप्त होने वाले राजस्व को प्रदेश में बनने वाली फिल्मों के वित्त पोषण पर लाभकारी ढ़ग से पुनर्निवेशित किया जा	**24.3** निक्षेपित किया जाता है।

सकेगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उपयुक्त वैधानिक तथा वित्तीय व्यवस्थाएँ विकसित की जायेंगी। वितरकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित एवं प्रेरित किया जाएगा कि वे अपने कार्यालय उत्तर प्रदेश में स्थापित करें। इन वितरकों को विकास प्राधिकरणों द्वारा भूमि तथा भवन के आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगीं।	
24.4 **स्वीकृतियों के लिए एकल मेज व्यवस्था** : फिल्म नीति के सफल क्रियान्वयन एवं फिल्म से जुड़े लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'एकल मेज प्रणाली' का गठन किया गया है। फिल्म नीति के समस्त क्षेत्रों से सम्बन्धित समस्त विचाराधीन प्रकरणों के क्रियान्वयन की सुविधा विभाग के अधीन 'फिल्म बन्धु' के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा उपलब्ध होगी।	24.4 **स्वीकृतियों के लिए एकल मेज व्यवस्था** :फिल्म नीति के सफल क्रियान्वयन एवं फिल्म से जुड़े लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'एकल मेज प्रणाली' का गठन किया गया है। फिल्म नीति के समस्त क्षेत्रों से सम्बन्धित समस्त विचाराधीन प्रकरणों के क्रियान्वयन की सुविधा विभाग के अधीन 'फिल्म बन्धु' के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा उपलब्ध होगी।
24.5 **फिल्म निर्माण हेतु सुरक्षा व्यवस्था** : उत्तर प्रदेश का सम्मानपूर्ण आतिथ्य सर्वविदित रहा है । अनेक भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्में, उत्तर प्रदेश में फिल्मांकित की गयी हैं तथा कानून व व्यवस्था की दृष्टि से फिल्मकारों का स्थानीय जनता के साथ सुखद अनुभव रहा है। राज्य अपनी आतिथ्य–सत्कार की परम्पराओं को जारी रखेगा तथा उत्तर प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग के लिए फिल्म निर्माताओं को सामान्य रूप से आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था निःशुल्क	24.5 **फिल्म निर्माण हेतु सुरक्षा व्यवस्था**उत्तर प्रदेश का सम्मानपूर्ण आतिथ्य सर्वविदित रहा है। अनेक भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्में, उत्तर प्रदेश में फिल्मांकित की गयी हैं तथा कानून व व्यवस्था की दृष्टि से फिल्मकारों का स्थानीय जनता के साथ सुखद अनुभव रहा है। राज्य अपनी आतिथ्य–सत्कार की परम्पराओं को जारी रखेगा तथा उत्तर प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग के लिए फिल्म निर्माताओं को सामान्य रूप से आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था निःशुल्क

उपलब्ध करायी जायेगी, किन्तु निर्माताओं को इसके लिए स्थानीय अधिकारियों को न्यूनतम तीन सप्ताह पूर्व सूचित करना होगा, ताकि आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित किये जा सकें। यह सूचना '**फिल्म बन्धु**' के माध्यम से भी दी जा सकती है।फिल्म निर्माण के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु पुलिस विभाग के अधीन एक 'फिल्म शूटिंग विंग' की स्थापना की जायेगी। इस विंग के अन्तर्गत उपयुक्त संख्या में आवश्यक पुलिस बल की व्यवस्था की जायेगी, ताकि फिल्म शूटिंग के समय फिल्म निर्माताओं की मांग पर उनकी मांग के अनुसार आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराया जा सके। यह अतिरिक्त विशिष्ट पुलिस बल फिल्म निर्माताओं को निर्धारित दर पर भुगतान किये जाने पर उपलब्ध कराये जायेंगे।	उपलब्ध करायी जायेगी, किन्तु निर्माताओं को इसके लिए स्थानीय अधिकारियों को न्यूनतम तीन सप्ताह पूर्व सूचित करना होगा, ताकि आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित किये जा सकें। यह सूचना '**फिल्म बन्धु**' के माध्यम से भी दी जा सकती है।फिल्म निर्माण के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु पुलिस विभाग के अधीन एक 'फिल्म शूटिंग विंग' की स्थापना की जायेगी। इस विंग के अन्तर्गत उपयुक्त संख्या में आवश्यक पुलिस बल की व्यवस्था की जायेगी, ताकि फिल्म शूटिंग के समय फिल्म निर्माताओं की मांग पर उनकी मांग के अनुसार आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराया जा सके। यह अतिरिक्त विशिष्ट पुलिस बल फिल्म निर्माताओं को निर्धारित दर पर भुगतान किये जाने पर उपलब्ध कराये जायेंगे।
24.6 वीडियो पाइरेसी तथा फिल्मों के अवैधानिक प्रदर्शन पर रोक: वीडियो पाइरेसी तथा विभिन्न संचार के माध्यमों से फिल्मों के अवैधानिक प्रदर्शन से फिल्म उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं के अच्छी तथा प्रमाणित फिल्म देखने के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए वचनबद्ध हैं। वीडियो पाइरेसी तथा अप्रमाणित फिल्मों के अवैधानिक प्रदर्शन को रोकने के लिए सम्बन्धित कानूनों का कठोरता से क्रियान्वयन किया	**24.6 निक्षेपित किया जाता है।**

जायेगा। इस उद्देश्य से राज्य द्वारा 'सर्तकता समिति' का गठन किया जायेगा, जिसमें उद्योग, मनोरंजन कर, गृह विभाग तथा सूचना विभाग के प्रतिनिधि भी सम्मिलित होंगे।	
25. फिल्मों का प्रचार–प्रसार **25.1** यह सर्वमान्य सत्य है कि फिल्म उद्योग पूर्ण रूप से जन–समर्थन पर आश्रित है। एक बड़ी जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश फिल्मों के लिए एक श्रेष्ठ जनाधार प्रस्तुत करता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि देश के कुछ भागों में प्रचलित फिल्म संस्कृति, उत्तर प्रदेश में अपनी जड़े जमा नहीं पायी हैं। राज्य द्वारा जनसाधारण में फिल्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास किये जायेंगे, ताकि अधिक–से अधिक लोगो का ध्यान मनोरंजन के इस शिक्षाप्रद स्रोत की ओर आकर्षित किया जा सके। निम्नलिखित विधियों से इस लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जायेगी: • फिल्मोत्सव का आयोजन। • पुरस्कारों का वितरण। • फिल्म सोसाइटीज को समर्थन।	**25. फिल्मों का प्रचार–प्रसार** **25.1** यह सर्वमान्य सत्य है कि फिल्म उद्योग पूर्ण रूप से जन–समर्थन पर आश्रित है। एक बड़ी जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश फिल्मों के लिए एक श्रेष्ठ जनाधार प्रस्तुत करता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि देश के कुछ भागों में प्रचलित फिल्म संस्कृति, उत्तर प्रदेश में अपनी जड़े जमा नहीं पायी हैं। राज्य द्वारा जनसाधारण में फिल्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास किये जायेंगे, ताकि अधिक–से अधिक लोगो का ध्यान मनोरंजन के इस शिक्षाप्रद स्रोत की ओर आकर्षित किया जा सके। निम्नलिखित विधियों से इस लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जायेगी: • फिल्मोत्सव का आयोजन। • पुरस्कारों का वितरण। • फिल्म सोसाइटीज को समर्थन।
25.2 **फिल्मोत्सव** : राज्य द्वारा वर्ष में एक बार फिल्मोत्सव का आयोजन किया जायेगा। इन उत्सवों का उद्देश्य उच्च श्रेणी की राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मों को जन–साधारण की आसान पहुँच में लाना है। ऐसा माना जाता है कि इससे स्वस्थ सिनेमा संस्कृति का विकास होगा तथा राज्य में फिल्म उद्योग के लिए एक व्यापक आधार तैयार होगा। इस उद्देश्य से राज्य,	**25.2** **फिल्मोत्सव:** राज्य द्वारा वर्ष में एक बार फिल्मोत्सव का आयोजन किया जायेगा। इन उत्सवों का उद्देश्य उच्च श्रेणी की राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मों को जन–साधारण की आसान पहुँच में लाना है। ऐसा माना जाता है कि इससे स्वस्थ सिनेमा संस्कृति का विकास होगा तथा राज्य में फिल्म उद्योग के लिए एक व्यापक आधार तैयार होगा। इस उद्देश्य से

राष्ट्रीय फिल्मोत्सव निदेशालय से एक समझौता करेगा। उत्सव का आयोजन उद्योग, सूचना, पर्यटन, मनोरंजन–कर तथा संस्कृति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। फिल्मोत्सव का आयोजन फिल्म विकास निधि के माध्यम से किया जायेगा तथा इसका पर्यवेक्षण 'फिल्म बन्धु' द्वारा किया जायेगा। इस अवसर को विशिष्ट पर्यटकीय अवसर के रूप में विकसित किया जायेगा।	राज्य, राष्ट्रीय फिल्मोत्सव निदेशालय से एक समझौता करेगा। उत्सव का आयोजन उद्योग, सूचना, पर्यटन, मनोरंजन–कर तथा संस्कृति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। फिल्मोत्सव का आयोजन फिल्म बन्धु द्वारा किया जायेगा तथा इसका पर्यवेक्षण **'फिल्म बन्धु'** द्वारा किया जायेगा। इस अवसर को विशिष्ट पर्यटकीय अवसर के रूप में विकसित किया जायेगा।
25.3 पुरस्कार 25.3.1 राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय फिल्मों के निर्माण से जुड़े व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए वार्षिक फिल्म पुरस्कार की स्थापना की जायेगी। फिल्म पुरस्कार हेतु दिनांक 01 जनवरी से 31 दिसम्बर के बीच निर्मित हिन्दी फिल्मों पर विचार किया जायेगा। 2. फिल्मों का चयन उ0प्र0 फिल्म विकास परिषद द्वारा किया जायेगा। 3. सम्मान में निर्माता व निर्देशक दोनो को पृथक–पृथक रु0 2,51,000/– (रुपये दो लाख इक्वायन हजार) की धनराशि प्रदान की जायेगी। 25.3.2 इन पुरस्कारों तथा इसके वितरण समारोह को 'फिल्म विकास निधि' द्वारा वित्त पोषित किया जायेगा।	**25.3 पुरस्कार** 25.3.1 राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय फिल्मों के निर्माण से जुड़े व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए वार्षिक फिल्म पुरस्कार की स्थापना की जायेगी। फिल्म पुरस्कार हेतु दिनांक 01 जनवरी से 31 दिसम्बर के बीच निर्मित हिन्दी फिल्मों पर विचार किया जायेगा। 2. फिल्मों का चयन उ0प्र0 फिल्म विकास परिषद द्वारा किया जायेगा। 3. सम्मान में निर्माता व निर्देशक दोनो को पृथक–पृथक रु0 2,51,000/– (रुपये दो लाख इक्वायन हजार) की धनराशि प्रदान की जायेगी। 25.3.2 इन पुरस्कारों तथा इसके वितरण समारोह को 'फिल्म बन्धु' द्वारा वित्त पोषित किया जायेगा।
25.4 फिल्म सोसाइटीजः फिल्म सोसाइटीज, फिल्म संस्कृति के विकास तथा सिने–दर्शकों का एक विवकेशील तथा बुद्धिमान वर्ग सृजित	**25.4 फिल्म सोसाइटीजः**फिल्म सोसाइटीज, फिल्म संस्कृति के विकास तथा सिने–दर्शकों का एक विवेकशील तथा बुद्धिमान वर्ग सृजित

करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा उच्च श्रेणी का राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सिनेमा, जानकार लोगों द्वारा देखा जाता है, उन पर विचार–विमर्श किया जाता है तथा उनका विश्लेषण किया जाता है। फिल्म सोसाइटी आन्दोलन उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों तक ही सीमित रहा है। उनकी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए 'फिल्म सोसाइटी आफ इंडिया' से विधिक रूप से पंजीकृत गम्भीर एवं सक्रिय फिल्म सोसाइटीज को 'फिल्म विकास निधि' से 5000 रुपये का वार्षिक अनुदान दिया जायेगा। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एन.एफ.डी.सी.) तथा फिल्म सोसाइटी ऑफ इण्डिया से इस बात का आग्रह किया जायेगा, कि वे इन सोसाइटीज को अपनी गतिविधियों के विकास तथा उन्नयन हेतु विशेष पैकेज प्रदान करें।	करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा उच्च श्रेणी का राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सिनेमा, जानकार लोगों द्वारा देखा जाता है, उन पर विचार–विमर्श किया जाता है तथा उनका विश्लेषण किया जाता है। फिल्म सोसाइटी आन्दोलन उत्तर प्रदश में कुछ स्थानों तक ही सीमित रहा है। उनकी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए 'फिल्म सोसाइटी आफ इंडिया' से विधिक रूप से पंजीकृत गम्भीर एवं सक्रिय फिल्म सोसाइटीज को 'फिल्म बन्धु' द्वारा 5000 रुपये का वार्षिक अनुदान दिया जायेगा। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम(एन.एफ.डी.सी.) तथा फिल्म सोसाइटी ऑफ इण्डिया से इस बात का आग्रह किया जायेगा, कि वे इन सोसाइटीज को अपनी गतिविधियों के विकास तथा उन्नयन हेतु विशेष पैकेज प्रदान करें।
	26. फिल्म अनुदान ऐसी फिल्मों को कदापि नहीं दिया जायेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य का किसी भी स्तर से गलत चित्रण किया गया हो अथवा छवि धूमिल की गयी हो। इसका परीक्षण स्क्रिप्ट स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त फिल्म अनुदान के लिए प्रार्थना–पत्र का संशोधित प्रारूप निम्नानुसार है:–

<u>फिल्म सब्सिडी के लिए प्रार्थना पत्र का प्रारूप</u> **सेवा में,** **अध्यक्ष,** **फिल्म बन्धु, उ0प्र0** 6 पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001	**<u>फिल्म सब्सिडी के लिए प्रार्थना पत्र काप्रारूप</u>** **सेवा में,** **अध्यक्ष,** **फिल्म बन्धु, उ0प्र0** 6 पार्क रोड, हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा निर्मित फिल्म...

....

जिसकी..प्रतिशत शूटिंग उत्तर प्रदेश में की जायेगी/गयी है और फिल्म की कुल लागत रूपये.............................. (शब्दों में)..

....

सम्भावित होगा/है,के, लिए नियमानुसार फिल्म सब्सिडी स्वीकार/स्वीकृत करने का कष्ट करें। फिल्म से सम्बन्धित विस्तृत विवरण निम्नवत् हैः–

1. प्रार्थी निर्माता/निर्देशक का नाम......................

....

2. प्रार्थी के पिता का नाम..............................

....

3. प्रार्थी का पूरा पता....................................

....

मो0–नं0...............................ई0मेल..........

....

4. फिल्म का नाम/टाइटिल.........................

....

(इम्पा/विम्पा से पंजीकृत प्रमाण–पत्र संलग्न है)

5. बैनर का नाम...

....

6. फिल्म की भाषा...

....

7. फिल्म का प्रकार...

....

8. फिल्म का कथासार एवं पटकथा..............

....

(संवाद सहित) छः–छः प्रतियों में संलग्न किया है।

9. निर्देशक का नाम एवं.................................

....

उसका पूर्व अनुभव (बायोडाटा संलग्न)

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा निर्मित फिल्म.

....

.जिसकी.. प्रतिशत शूटिंग उत्तर प्रदेश में की जायेगी/गयी है और फिल्म की कुल लागत रूपये..(शब्दों में)..........

....

....सम्भावित होगा/है, के, लिए नियमानुसार फिल्म सब्सिडी स्वीकार/स्वीकृत करने का कष्ट करें। फिल्म से सम्बन्धित विस्तृत विवरण निम्नवत् हैः–

1. प्रार्थी/निर्माता का नाम.............................

....

2. प्रार्थी के पिता का नाम.............................

....

3. प्रार्थी का पूरा पता......................................

....

मो0–नं0................................ई0मेल........

....

4. फिल्म का नाम/टाइटिल.......................

....

(इम्पा/विम्पा से पंजीकृत प्रमाण–पत्र संलग्न है)

5. बैनर का नाम...

....

6. फिल्म की भाषा...

....

7. फिल्म का प्रकार.......................................

....

8. फिल्म का कथासार एवं पटकथा............

....

(संवाद सहित) छः–छः प्रतियों में संलग्न किया है।

9. निर्देशक का नाम एवं ....

....

उसका पूर्व अनुभव (बायोडाटा संलग्न)

10. निर्माता का नाम एवं ....

10. निर्माता का नाम एवं.....................................

....

उसका पूर्व अनुभव (बायोडाटा संलग्न)

11. कहानीकार/स्क्रिप्ट राइटर का नाम एवं

....

उसका पूर्व अनुभव (बायोडाटा संलग्न)

12. मुख्य अभिनेता/अभिनेत्री का नाम एवं...... .... उसका पूर्व अनुभव (बायोडाटा संलग्न–जन्म स्थान लिखना अनिवार्य है)

13. क्या प्रार्थी राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त निर्माता/निर्देशक है ?

हाँ/नहीं (✓ करें)

यदि हाँ तो विवरण/साक्ष्य (स्वप्रमाणित) संलग्न करें।

14.(क) कुल कलाकारों की संख्या का नाम.........

....

....

....

(ख) उ0प्र0 के कलाकारों की संख्या, नाम, आवासीय पता...

....

(जो/जिन्होंने फिल्म में अहम किरदार निभायेंगे अथवा निभाया है। (प्रमाण संलग्न करें।)

15. **उत्तर प्रदेश में फिल्मांकन** का प्रस्तावित/घटित स्थान (जनपद सहित) एवं दिनांक...

(विवरण संलग्न करें)

16. **प्रोडक्शन का विवरण**

(क) फिल्म की अनुमानित/कुल लम्बाई..........

....मीटर

रीलों की संख्या..

....

अवधि...

....मिनट

(ख) उत्तर प्रदेश में फिल्मांकन का विवरण

....

............उसका पूर्व अनुभव (बायोडाटा संलग्न)

11. कहानीकार/स्क्रिप्ट राइटर का नाम एवं ....

उसका पूर्व अनुभव (बायोडाटा संलग्न)..

12. मुख्य अभिनेता/अभिनेत्री का नाम एवं... .... उसका पूर्व अनुभव (बायोडाटा संलग्न– जन्म स्थान लिखना अनिवार्य है)

13. क्या प्रार्थी राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त निर्माता/निर्देशक है ?

हाँ/नहीं (✓ करें)

यदि हाँ तो विवरण/साक्ष्य (स्वप्रमाणित) संलग्न करें।

14.(क) कुल कलाकारों की संख्या तथा नाम सहित सूची...

....

....

(ख) उ0प्र0 के कलाकारों की संख्या, नाम, आवासीय पता...

....

जो/जिन्होंने फिल्म में अहम किरदार निभायेंगे अथवा निभाया है। (प्रमाण संलग्न करें।)

15. **उत्तर प्रदेश में फिल्मांकन** का प्रस्तावित/घटित स्थान (जनपद सहित) एवं दिनांक...

(विवरण संलग्न करें)

16. **प्रोडक्शन का विवरण**

(क) फिल्म की अनुमानित/कुल लम्बाई.........

....

अवधि...................... मिनट ....

(ख) उत्तर प्रदेश में फिल्मांकन का विवरण

- फिल्म की लम्बाई...
  ....
  मीटर
- रीलों की संख्या...
  ....
- अवधि...
  ....मिनट

(ग) शूटिंग शिफ्ट्स का विवरण (उत्तर प्रदेश–में)

इनडोर..

आउट डोर..

कुल..

शिफ्ट्स स्प्रेडओवर.......................................माह

(घ) शूटिंग लोकेशन (जनपद सहित)

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

(च) फिल्मांकन की प्रथम तिथि..............................

(छ) फिल्मांकन की अन्तिम तिथि..............................

(ज) यूनिट के सदस्यों की संख्या..............................

(झ) फिल्म सम्पादन में शिफ्ट की संख्या..............................

(त) तकनीकी स्टाफ का विवरण..............................

(थ) प्रदर्शन की तिथि..............................

(द) प्रोडक्शन के दौरान प्रचार..............................

- अवधि..............(दिन)......................
  मिनट
  ....

(ग) शूटिंग शिफ्ट्स का विवरण (उत्तर प्रदेश–में)

इनडोर..

......................आउट डोर..

.............कुल..

शिफ्ट्स स्प्रेडओवर.......................................माह

(घ) शूटिंग लोकेशन (जनपद सहित)

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

(च) फिल्मांकन की प्रथम तिथि..............................

(छ) फिल्मांकन की अन्तिम तिथि..............................

(ज) यूनिट के सदस्यों की संख्या..............................

(झ) तकनीकी स्टाफ की संख्या..............................

(थ) प्रदर्शन की सम्भावित तिथि..............................

(द) प्रोडक्शन के दौरान प्रचार..............................

कार्यक्रमों का विवरण

बजट समीक्षा (धनराशि रूपये में)

कार्यक्रमों का विवरण

बजट समीक्षा (धनराशि रुपये में)

(क) निर्माताः...

....

(ख) निर्देशक...

....

(ग) कहानी,पटकथा एवं संवाद...............................

....

(घ) कलाकारः...

....

(च) प्रोडक्शन यूनिट का वेतनः...............................

....

(छ) गीत/संगीतः...

....

(ज) कोरियोग्राफीः...

....

(झ) सेल्यूलाइड फार्मेट में फिल्म निर्माण करने पर,

(1) रॉ–स्टॉक (प्रथम रिलीज प्रिन्ट तक)..............

....

(2) लेबोरेट्री चार्ज...

....

(पिक्चर निगेटिव, साउण्ड निगेटिव, केवल प्रथम प्रिंट का पिक्चर पॉजिटिव, इन्टर निगेटिव, इन्टर पॉजिटिव)

(3) रिकार्डिंग एवं रि–रिकार्डिंग की कुल धनराशि :...

रि–रिकार्डिंग–:मोनो, स्टीरियो, डालबी, डी0टी0सी0 एवं साउण्ड ट्रैक ट्रान्सफर)

(त) डिजिटल फार्मेट में फिल्म निर्माण करने पर

1. रॉ–स्टाक पर कुल व्यय

2. लेबोरेट्री चार्जः...

....

3. रिकार्डिंग एवं रि–रिकार्डिंग की कुल धनराशि...............................रि–रिकार्डिंग–:मोनो, स्टीरियो, डालबी, डी0टी0सी0 एवं साउण्ड ट्रैक ट्रान्सफर)

(थ) स्टूडियो का किरायाः.......................................

(क) निर्माताः...

....

(ख) निर्देशक...

....

(ग) कहानी,पटकथा एवं संवाद...............................

....

(घ) उत्तर प्रदेश के कलाकारः...............................

....

(च) तकनीकी यूनिट/प्रोडक्शन यूनिट का वेतनः...

(छ) गीत/संगीतः रिकार्डिंग एवं मिक्सिंग चार्जेस...

(ज) कोरियोग्राफीः...

........फाइटिंग...

(झ) डिजिटल फार्मेट में फिल्म निर्माण करने पर

1. रॉ–स्टाक/हार्डडिस्क पर कुल व्यय..............

....

2. पोस्ट प्रोडक्शन चार्जेस (एडटिंग, साउन्ड वर्क, रि–रिकार्डिंग, विजुएल इफेक्टस/एनीमेशन, डी0आई/कलर ग्रेडिंग आदि तकनीकी कार्य)...

....

....

(त) लोकेशन का किराया/स्टूडियो का किरायाः...

....

(थ) उत्तर प्रदेश के उपकरणों का किरायाः........

....

(द) उपकरणों का किराया:..

(ध) यात्रा एवं माल भाड़ा व्यय:..

(न) सेट्स, डिजाइनिंग, सुपरविजन:..

(निर्माण, माडल्स एवं विशेष प्रॉपर्टीज)

(प) कॉस्ट्यूम, मेकअप, मैटीरियल एवं ज्वैलरी..

(फ) प्रचार–प्रसार पर व्यय

प्रिन्ट मीडिया..

इलेक्ट्रानिक मीडिया..

(ब) आकस्मिक व्यय:..

(भ) फिल्म निर्माण पर अनुमानित/वास्तविक कुल लागत

वित्त पोषण का स्रोत:..

स्वयं..

ऋण:..

अन्य:..

फिल्म बन्धु प्रोसेसिंग फीस का विवरण

ड्रॉफ्ट नं0..

दिनांक..

रूपये..बैंक का नाम व पता...

स्थान :

आवेदक का नाम

दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर

नियम एवं शर्तें :–

....

(द) **प्रदेश में स्थानीय यात्रा एवं माल भाड़ा व्यय:**..

(ध) प्रदेश के होटल में ठहरने का किराया..

(न) सेट्स, डिजाइनिंग, सुपरविजन:..

(निर्माण, माडल्स एवं विशेष प्रॉपर्टीज)

(प) कॉस्ट्यूम, मेकअप, मैटीरियल एवं ज्वैलरी..

(फ) प्रचार–प्रसार पर व्यय

प्रिन्ट मीडिया..

इलेक्ट्रानिक मीडिया..

(ब) आकस्मिक व्यय:..

(भ) फिल्म निर्माण पर अनुमानित/वास्तविक कुल लागत

वित्त पोषण का स्रोत:..

स्वयं..

ऋण:..

अन्य:..

फिल्म बन्धु प्रोसेसिंग फीस का विवरण

ड्रॉफ्ट नं0..

दिनांक..

रूपये..बैंक का नाम व पता..

स्थान :

आवेदक का नाम

दिनांक

आवेदक का हस्ताक्षर

नियम एवं शर्तें :–

1. प्रार्थना पत्र दो प्रतियों में भरा जाये।	1. प्रार्थना पत्र दो प्रतियों में भरा जाये।
2. सभी नाम पूर्ण अक्षरों में होने चाहिए।	2. सभी नाम पूर्ण अक्षरों में होने चाहिए।
3. सभी कालम भरे होने चाहिए।	3. सभी कालम भरे होने चाहिए।
4. फिल्म का कथासार एवं पटकथा (संवाद सहित) छः–छः प्रतियों में निर्धारित प्रारूप पर संलग्न हो।	4. फिल्म का कथासार एवं पटकथा (संवाद सहित) छः–छः प्रतियों में निर्धारित प्रारूप पर संलग्न हो।
5. पटकथा, राइटर एसोसिएशन, मुम्बई से पंजीकृत हो।	5. पटकथा, राइटर एसोसिएशन, मुम्बई से पंजीकृत हो।
6. कथासार 3 पृष्ठ से अधिक नहीं होनी चाहिए।	6. कथासार 3 पृष्ठ से अधिक नहीं होनी चाहिए।
7. पटकथा कम्प्यूटरीकृत लेटर (फॉन्ट) का साइज 14 प्वाइंट तथा डेढ़ लाइन स्पेसिंग में हो।	7. पटकथा कम्प्यूटरीकृत लेटर (फॉन्ट) का साइज 14 प्वाइंट तथा डेढ़ लाइन स्पेसिंग में हो।
8. कुल बजट लागत चार्टर्ड एकाउन्टेंट से प्रमाणित हो।	8. कुल बजट लागत चार्टर्ड एकाउन्टेंट से प्रमाणित हो।
9. फिल्म निर्माता/निर्देशक/फर्म/संस्था/प्रोड्यूसर/पार्टनर्स का अद्यतन तीन वर्षों का आयकर जमा सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।	9. फिल्मनिर्माता/निर्देशक/फर्म/संस्था/प्रोड्यूसर/पार्टनर्स का अद्यतन तीन वर्षों का आयकर जमा सम्बन्धी प्रमाण–पत्र।
10. प्रोसेसिंग फीस के रूप में "फिल्म बन्धु उत्तर प्रदेश" के नाम रूपये 15.000/– का गैर वापसी बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।	10. प्रोसेसिंग फीस के रूप में "फिल्म बन्धु उत्तर प्रदेश" के नाम रूपये 15.000/– का गैर वापसी बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा।
11. कथासार में कथावस्तु उद्देश्य, संदेश, सामाजिक उपयोगिता तथा उ0प्र0 के सांस्कृति एवं पर्यटन के संदर्भ में स्पष्ट विवरण दिया जाना आवश्यक है।	11. कथासार में कथावस्तु उद्देश्य, संदेश, सामाजिक उपयोगिता तथा उ0प्र0 के सांस्कृति एवं पर्यटन के संदर्भ में स्पष्ट विवरण दिया जाना आवश्यक है।
12. फिल्म नीति उ0प्र0 के मानक पूर्ण होने पर एवं सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र दिये जाने के बाद अनुदान का 30%भुगतान किया जायेगा। अनुदान की अवशेष धनराशि का भुगतान फिल्म रिलीज होने के बाद ही किया जायेगा।	12. फिल्म नीति उ0प्र0 के मानक पूर्ण होने पर एवं सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र दिये जाने के बाद अनुदान का 30%भुगतान किया जायेगा। अनुदान की अवशेष धनराशि का भुगतान फिल्म रिलीज होने के बाद ही किया जायेगा।
13. फिल्म का टाइटिल 'इम्पा' अथवा 'विम्पा' आदि अधिकृत संस्थाओं में पंजीकृत होना चाहिए।	13. फिल्म का टाइटिल 'इम्पा' अथवा 'विम्पा' आदि अधिकृत संस्थाओं में पंजीकृत होना चाहिए।
14. फिल्म का प्रस्ताव केवल निर्माता अथवा निर्देशक द्वारा ही प्रस्तुत किया जाये।	14. फिल्म का प्रस्ताव केवल निर्माता अथवा निर्देशक द्वारा ही प्रस्तुत किया जाये।
15. उत्तर प्रदेश में किये गये फिल्मांकन का संबधित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा	15. उत्तर प्रदेश में किये गये फिल्मांकन का संबधित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय

संख्या–02 / 2018 / 243(1) / उन्नीस–2–2018–22 / 2013टी0सी0 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2– पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
3– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उ0प्र0 शासन।
4– समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उ0प्र0।
5– कर एवं निबन्धन अनु0–6 / वित्त (व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–7।
6– न्याय (रिट) अनुभाग–6।
7– गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(कल्यान बनर्जी)
अनु सचिव

प्रदान किये जाने वाला प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

16. अध्यक्ष फिल्म बन्धु, द्वारा गठित स्क्रिप्ट कमेटी तथा वित्त विशेषज्ञ समिति की संस्तुति के उपरान्त ही अनुदान देने की कार्यवाही की जायेगी।

17. प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित समस्त अभिलेख/प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

घोषणा–पत्र

मैं..

.......मेसर्स..

पुत्र/पुत्री......................................

शपथपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि प्रार्थना पत्र में दिये गये सभी तथ्य एवं विवरण मेरी जानकारी व विश्वास में सही है। इनमें से यदि कोई तथ्य एवं विवरण गलत पाये जाते हैं तो अनुदान के रूप में स्वीकार/स्वीकृत की गई समस्त धनराशि मय ब्याज राजस्व वसूली भाँति मुझसे वसूल किये जाने तथा नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु ''फिल्म बन्धु'' पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।

2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि इस फिल्म का निर्माण फिल्म नीति के अनुसार मूल रूप से उत्तर प्रदेश में शूटिंग करके किया जाना है/किया गया है। इसे डबिंग करके तैयार नहीं किया जाना है/किया गया है।

3. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे यह ज्ञात है कि अनुदान केवल फिल्म के रॉ–स्टाक, लैब फीस, रिकार्डिंग एवं रि–रिकार्डिंग–फीस के लिये ही दिया जायेगा।

द्वारा प्रदान किये जाने वाला प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

16. अध्यक्ष फिल्म बन्धु, द्वारा गठित स्क्रिप्ट कमेटी तथा वित्त विशेषज्ञ समिति की संस्तुति के उपरान्त ही अनुदान देने की कार्यवाही की जायेगी।

17. प्रार्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित समस्त अभिलेख/प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

घोषणा–पत्र

मैं..

.........मेसर्स..

....

पुत्र/पुत्री..

शपथपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि प्रार्थना पत्र में दिये गये सभी तथ्य एवं विवरण मेरी जानकारी व विश्वास में सही है। इनमें से यदि कोई तथ्य एवं विवरण गलत पाये जाते हैं तो अनुदान के रूप में स्वीकार/स्वीकृत की गई समस्त धनराशि मय ब्याज राजस्व वसूली भाँति मुझसे वसूल किये जाने तथा नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु ''फिल्म बन्धु'' पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।

2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि इस फिल्म का निर्माण फिल्म नीति के अनुसार मूल रूप से उत्तर प्रदेश में शूटिंग करके किया जाना है/किया गया है। इसे डबिंग करके तैयार नहीं किया जाना है/किया गया है।

3. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे यह ज्ञात है कि अनुदान केवल फिल्म के रॉ–स्टाक, **गीत/संगीत रिकार्ड़िंग, पोस्ट प्रोडक्शन (एडटिंग, साउन्ड वर्क, रि–रिकार्डिंग, विजुएल इफेक्टस/ एनीमेशन, डी0आई/कलर ग्रेडिंग आदि तकनीकी कार्य)** से संबंधित व्यय, फिल्म यूनिट के उत्तर प्रदेश में होटल आदि में ठहरने का किराया, शूटिंग के दौरान प्रदेश में आवागमन (लोकल कन्वेन्स के रूप में टैक्सी किराया आदि,) उत्तर प्रदेश

	से किराये पर लिए गये कास्टयूम, मेक–अप मैटीरियल एवं ज्वैलरी आदि, उत्तर प्रदेश के फिल्म संस्थानों/फर्मो से किराये पर लिये गये उपकरणो तथा उत्तर प्रदेश में फिल्म लोकेशन के किराये पर होने वाले व्यय के लिये ही दिया जायेगा।
4. मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे ज्ञात है कि उक्त अनुदान केवल प्रथम प्रिंट की सीमा तक के लिए ही दिया जायेगा।	4. मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे ज्ञात है कि उक्त अनुदान केवल प्रथम प्रिंट की सीमा तक के लिए ही दिया जायेगा।
5. मैं सशपथ यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरी फिल्म पर अनुदान के सम्बन्ध में उसका परीक्षण फिल्म बन्धु द्वारा किया जायेगा और इस सम्बन्ध में फिल्म बन्धु एवं राज्य सरकारकी फिल्म नीति सम्बन्धी नियमों, निर्देशों व उद्देश्यों का पालन किया गया है अथवा नही, के आधार पर अनुदान दिये जाने/न दिये जाने का निर्णय फिल्म बन्धु द्वारा लिया जायेगा। अनुदान के लिए फिल्म बन्धु द्वारा लिए गये निर्णय पर मुझे कोई आपित्त नहीं होगी एवं इस बिन्दु पर फिल्म बन्धु का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा, जिस सम्बन्ध में मेरे द्वारा किसी अन्य फोरम पर कोई वाद–विवाद योजित नहीं किया जायेगा।	5. मैं सशपथ यह घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरी फिल्म पर अनुदान के सम्बन्ध में उसका परीक्षण फिल्म बन्धु द्वारा किया जायेगा और इस सम्बन्ध में फिल्म बन्धु एवं राज्य सरकारकी फिल्म नीति सम्बन्धी नियमों, निर्देशों व उद्देश्यों का पालन किया गया है अथवा नही, के आधार पर अनुदान दिये जाने/न दिये जाने का निर्णय फिल्म बन्धु द्वारा लिया जायेगा। अनुदान के लिए फिल्म बन्धु द्वारा लिए गये निर्णय पर मुझे कोई आपित्त नहीं होगी एवं इस बिन्दु पर फिल्म बन्धु का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा, जिस सम्बन्ध में मेरे द्वारा किसी अन्य फोरम पर कोई वाद–विवाद योजित नहीं किया जायेगा।
स्थान– आवेदक का नाम दिनांक– आवेदक के हस्ताक्षर	स्थान– आवेदक का नाम दिनांक– आवेदक के हस्ताक्षर

3– फिल्म नीति–2001 (यथा संशोधित– 2014 व 2015) को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

4– कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अवनीश कुमार अवस्थी)
प्रमुख सचिव